

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 3088/2013 Dt. 16/9/13
सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये व
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।
Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C
Norms.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

नगर विकास खास, मिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार भारतीय रूप से
विकास कार्यक्रमों को निर्देशित प्रभावित
भवन में निर्माण प्रभावित रहता है
अन्यथा न कि खास द्वारा भवन निर्माण के
विषय में निर्माण कार्यवाही की जाये

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवाओं नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
अवधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Parking Area Will Be UTI's Property

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रारणगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जाएगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

AREA CALCULATION DETAIL					
FLAT NAME	LAND AREA	PERM GREENED COVER	ACQUIRED GREEN AREA	ACQUIRED PERCENT	
FLAT-0	22748.85 SQM	35 %	7976.35 SQMT		
FLAT-0 A	1371.66 SQM	30 %	411.49 SQMT		N/A
FLAT-0 C	1251.37 SQM	30 %	375.41 SQMT		N/A
FLAT-0 D	1175.50 SQM	35 %	411.42 SQMT		N/A
	4097.53 SQM		7155.65 SQMT		
					PERCENTAGE
TOTAL PLANT AREA			580.89 SQMT		
SURROUND AREA IN ROAD			862.47 SQMT		
NET PLANT AREA			497.53 SQMT		
PERMISSIBLE FAR	1.33 @ 4937.53		658.94		
SURROUND AREA IN ROAD	1.60 @ 862.47		138.00		
	TOTAL PERMISSIBLE FAR		797.53		1.50
COMMERCIAL FAR	7% @ PERM FAR		55.84		0.53
RESIDENTIAL FAR			738.69		
PERM GREEN AREA	10% @ NETT PLANT AREA		49.75	SQMT	10.00 %
ACQD GREEN AREA			580.84	SQMT	10.51 %
PERM HEIGHT			27.43	M	
	PROPOSED HEIGHT		24	M	
PERMISSIBLE CORRIDOR AREA			747.11	SQMT	
ACHIEVED CORRIDOR AREA			977.09	SQMT	
EXTRA CORRIDOR AREA			97.04	SQMT	
PROPOSED FAR					
COMMERCIAL FAR			179.36	SQMT	
RESIDENTIAL FAR			4480.72	SQMT	
			97.98	SQMT	
TOTAL ACHIEVED FAR			5289.06	SQMT	1.67 %
	REQ. E.C.U.	RESIDENTIAL	152.00	NOS.	
		COMMERCIAL	13.00	NOS.	
EXTRA VEHICLE PARKING			41.00	NOS.	
TOTAL REQ. E.C.U.			165.00	NOS.	
EXTRA FAR WITH BETTERMENT LEVY					
COMMERCIAL			NIL		
RESIDENTIAL			NIL		
REQ. FAR FOR DEVELOP OF STATUS REIMBURSEMENT, TAPOKARUA			250.39	SQMT	
REQ. FAR FOR DEVELOP OF TOWN GARDEN, TRADA, SHIVAPURI			549.45	SQMT	
REQ. TOTAL FAR FOR DEVELOP			799.84		
ACHIEVED MULTIPLE FAR FOR DEVELOP			3737.92		
NET BALANCE AREA FOR DEV-SAC TO BE PROVIDED			7138.32		

सहायक नगर (नियोजक) नगर विकास न्यास, भिवाडी	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर)
--	---

PARKING CALCULATION

PERMISSIBLE TWO WHEELERS			
	2-WHEELER		205.0

DETAIL OF ACHIEVED PARKING

ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN STILT FLOOR	TOTAL	66
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN OPEN AREA	TOTAL	140
TOTAL ACHIEVED TWO WHEELER NOS		= 206 NOS.

OWNER:

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:- MASTER PLAN

DRN. BY:-

SCALE:- 1: 350

SUNIT TANEJA

DRG. NO.:- 1

CONSULTANTS:-

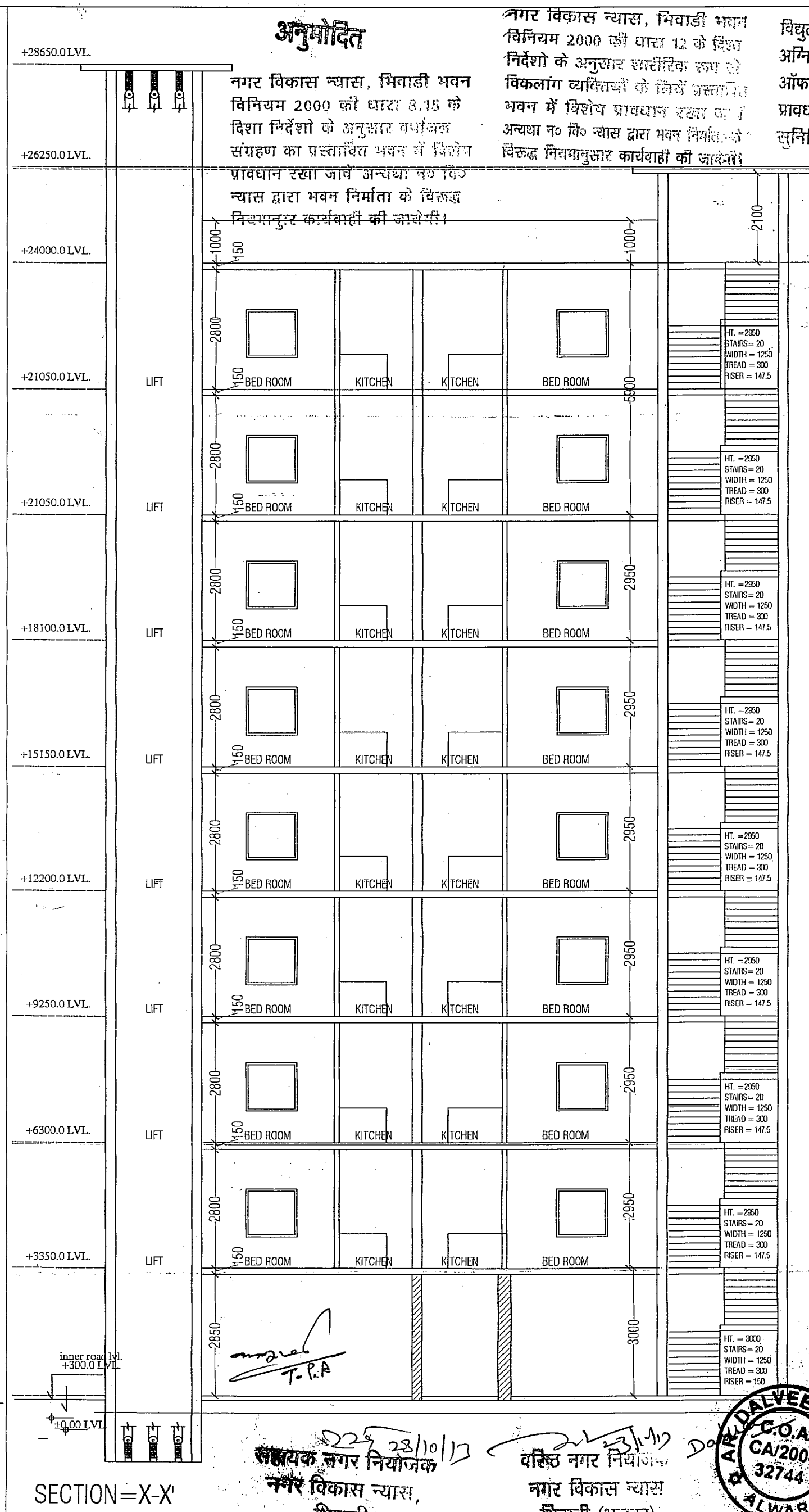
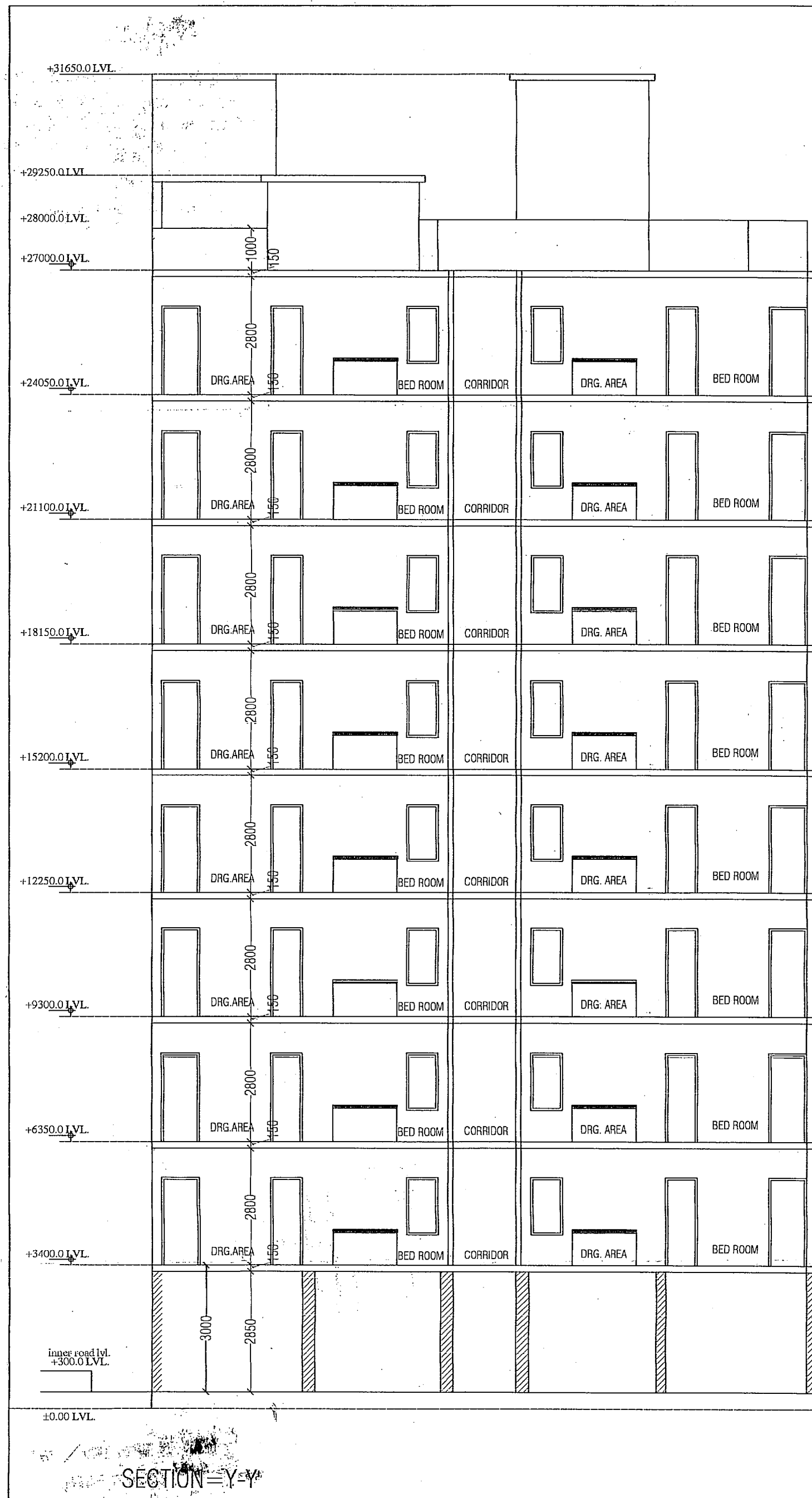
 **Anoop singh & associates**
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)982913767
Email- anoop.s.associate@gmail.com

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGN

Director

इतनी हीन अवतारों के अनुशासन
 EWS/LIG फॉलो का निष्पादन
 अपेक्षित एडमिनिस्ट्रेशन/अवतार
 व्यापक निष्पादन के अभाव में
 विकास के अभाव में हीन अवतार
 विकास के अभाव में हीन अवतार
 विकास के अभाव में हीन अवतार



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखने का
अन्यथा न तो न्यास द्वारा भवन निर्माण के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भांति प्रशानगत भूमि/गुडवुड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules,
Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.
सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।
Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।
"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 29/10/12
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 225/23/10/12 Dt. 29/10/12

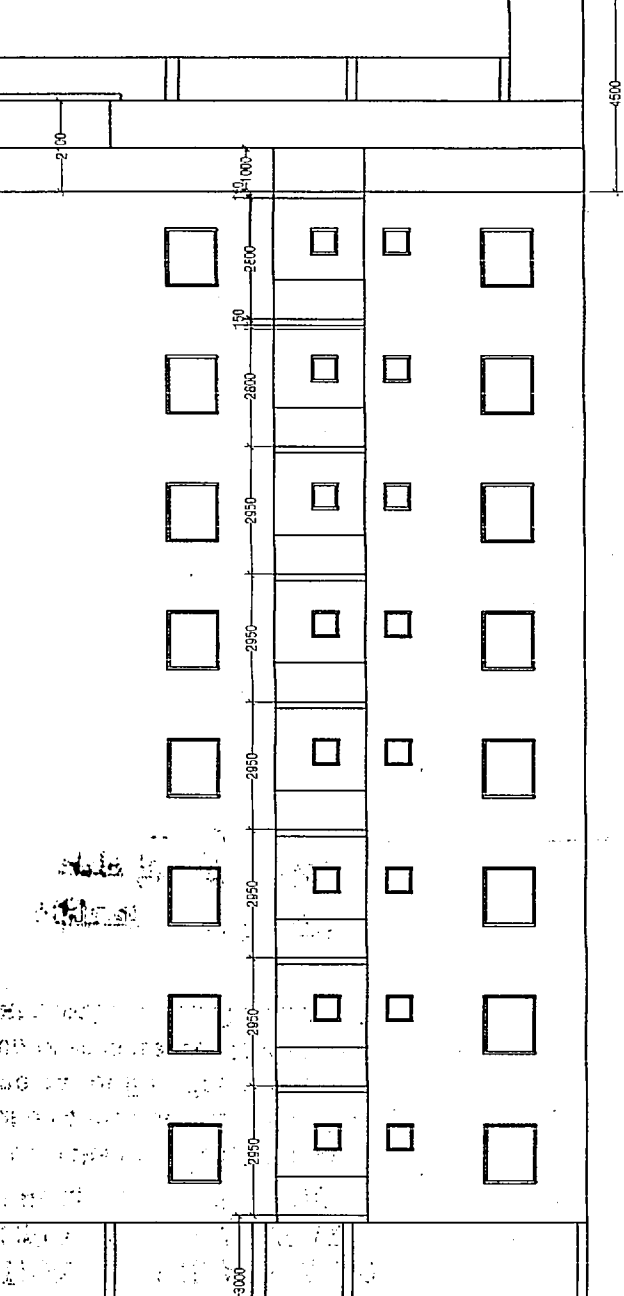
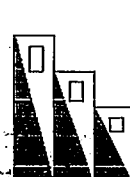
OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRINGFIELD COLONY, SEC. 31, FARIDABAD - (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38, 41, 169, 171, 172,
TEHSIL TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-
SECTIONS DETAIL OF
PLOT - C (BLOCK - Z)

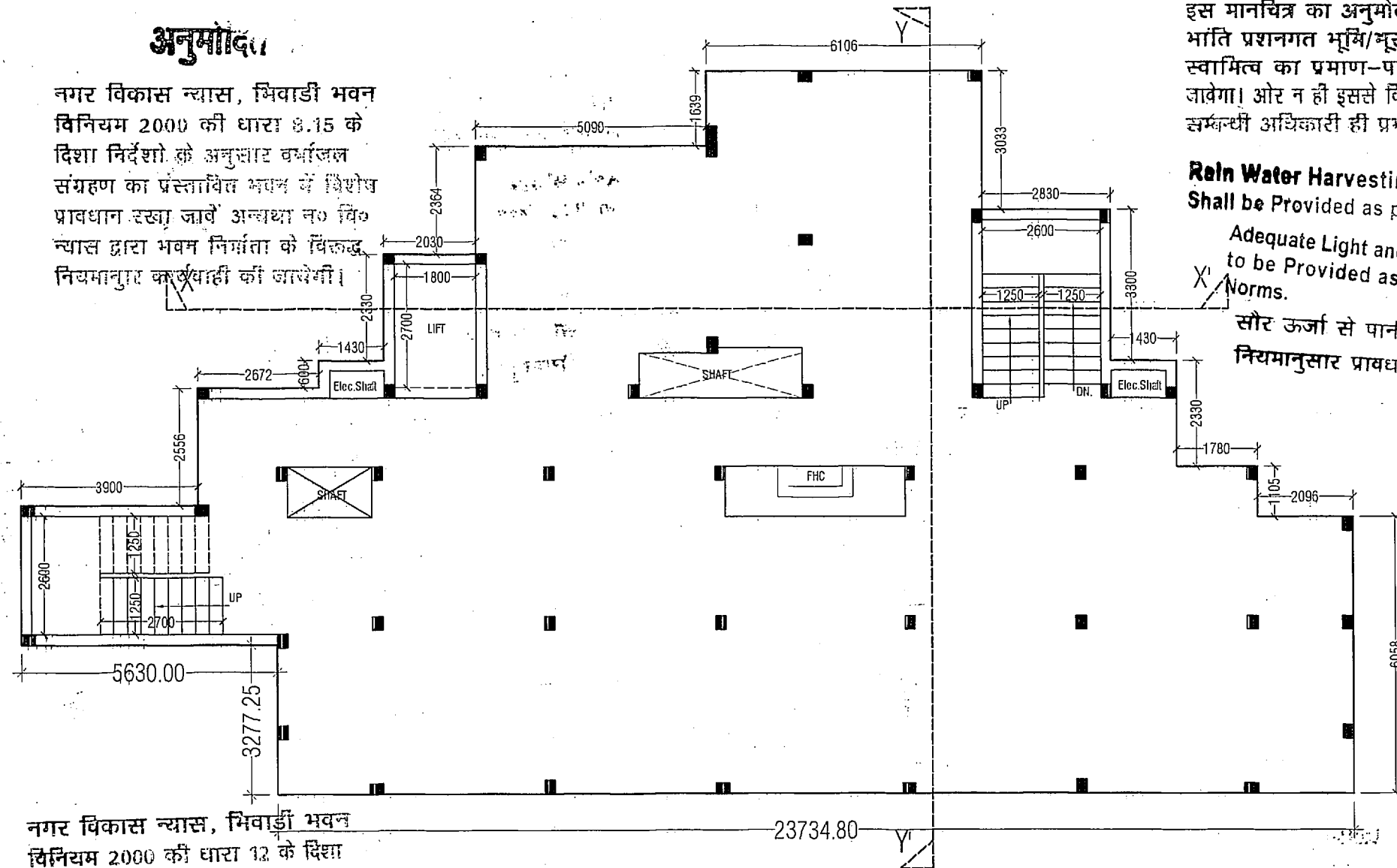
SHEET NO. 06 SCALE:- 1:100

CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68, 69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003 (Fax) 2332250 (M) 09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

	अनुमोदित नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8-15 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे। अन्यथा नगरीय न्यास द्वारा भवन निर्माता को विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे। अन्यथा नगरीय न्यास द्वारा भवन निर्माता को विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। विद्युत सेवा में नलकरी एवं, जल, मल, निष्पत्ति आदि सेवाओं नेशनल बिल्डिंग ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियम प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों सुनिश्चित किया जावेगा। इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रशन्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे। Rein Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.
Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction, Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms. सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।	
Parking Area Will Be UTT's Property - पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा। नीचे दिये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) दाखिल प्रार्थना की गयी है। THESE PLANS ARE VALID ONLY UP TO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE IN Compliance of Layout Plan Building Plan Committee Dated 28/9/2017 One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. 2291-22/12/2017	
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD. 15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC-31, FARIDABAD- (HARYANA) WEBSITE:- www.thdindia.com E-Mail:- info@thdindia.com HILL VIEW EXT. PHASE-V AT VILLAGE TATARPUR KHASRA NO. 38,41,169,171,172, DISTT. ALWAR(RAJ.)	
DRG. TITLE:- ALL ELEVATION DETAIL OF PLOT - C {BLOCK - Z}	
SHEET NO.	SCALE:- 1:175
CONSULTANTS:-  Anoop singh & associates Engineer, Valuer, Architect, Interiors, 68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.) Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096 Email- aanoo.s.associate@gmail.com	

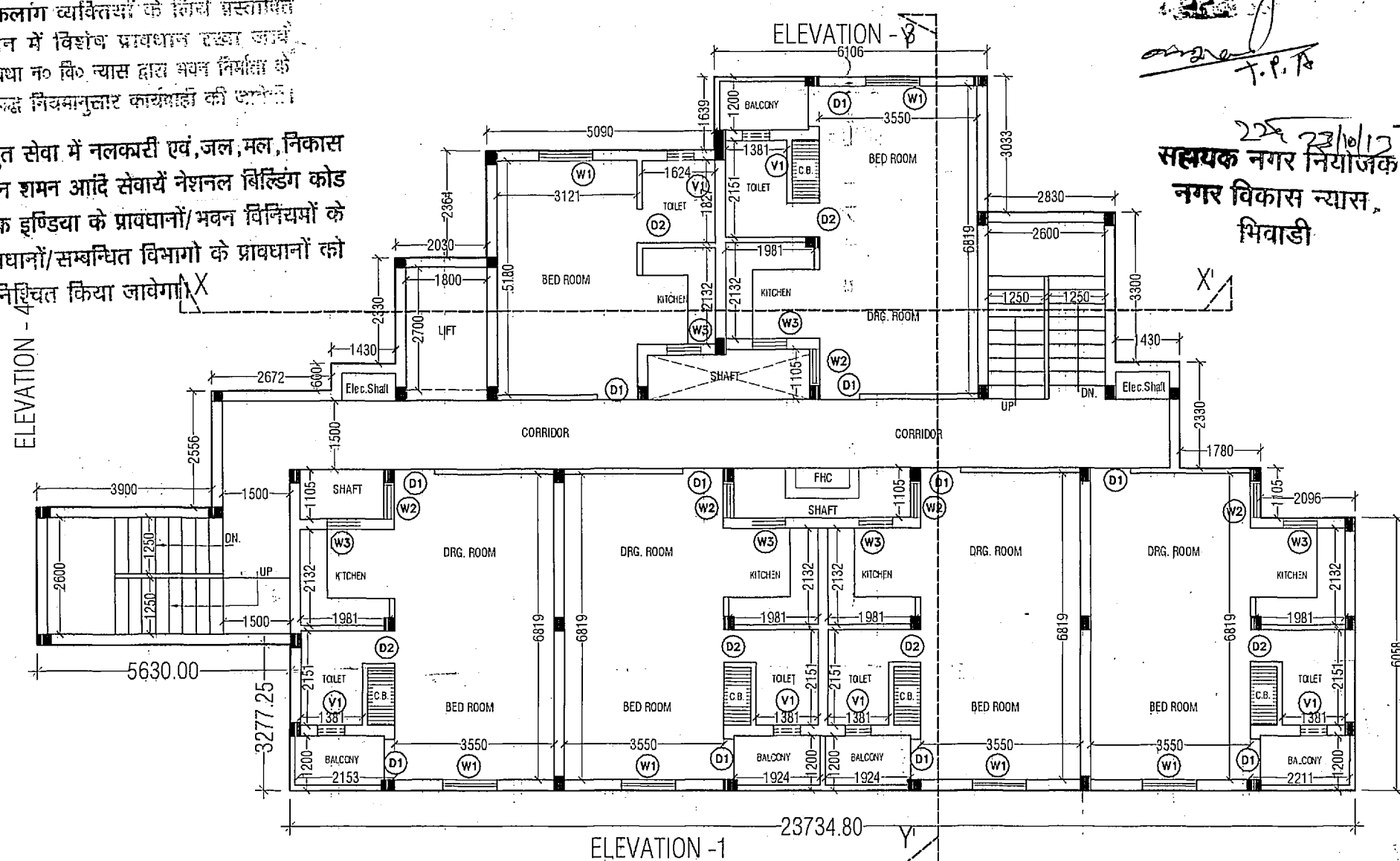
अनुमोदन

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विद्युत सेवा में नलकरी एवं जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिडिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।



इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशानगत भूमि/मुखण्ड के प्राप्ति
स्वाभित्त्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वाभित्त्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rein Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

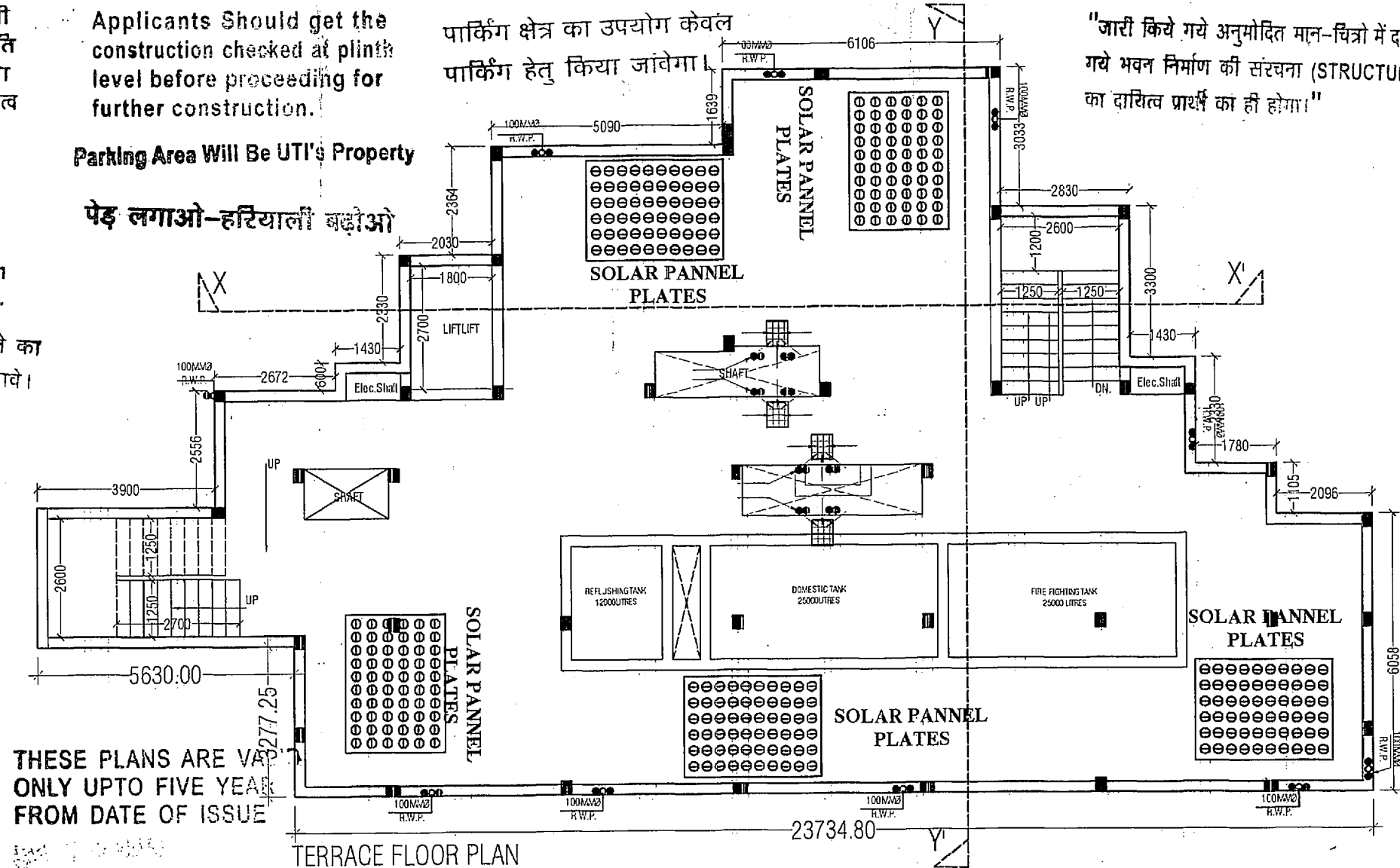
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

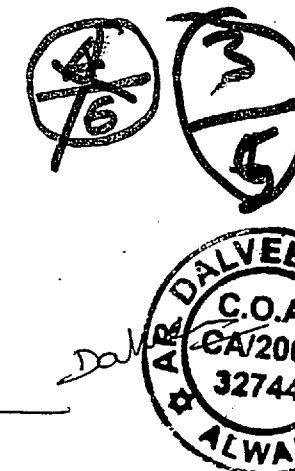


THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 12/9/15
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 4583/1-24/24/1/13

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director



OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC. 31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V

AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38, 41, 169, 171, 172,
TEHSIL TIJARA, DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-

STILT FLOOR & FIRST TO EIGHT
FLOOR & TERRACE FLOOR PLAN

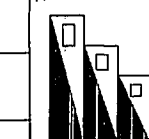
SHEET NO.

04

SCALE:-

1:125

CONSULTANTS:-



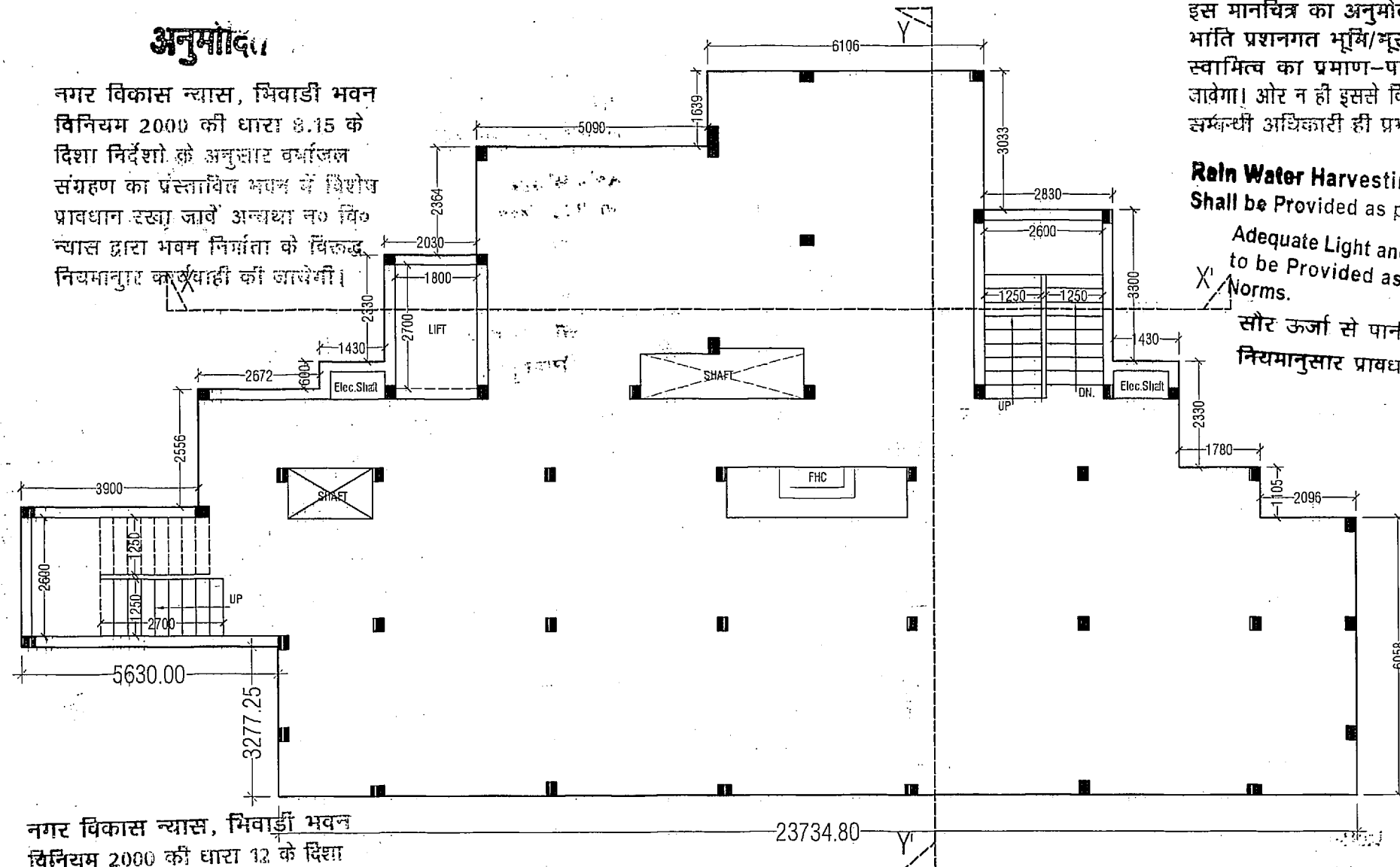
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332150 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S. NO.	TYPE	SIZE	SILL. LEVEL	HEIGHT
01	D1	900.0	00	2100.0
	D2	750.0	00	2100.0
	W1	1200.0	750.0	2100.0
	W2	750.0	750.0	2100.0
	W3	750.0	1050.0	2100.0
	V	600.0	1500.0	2100.0

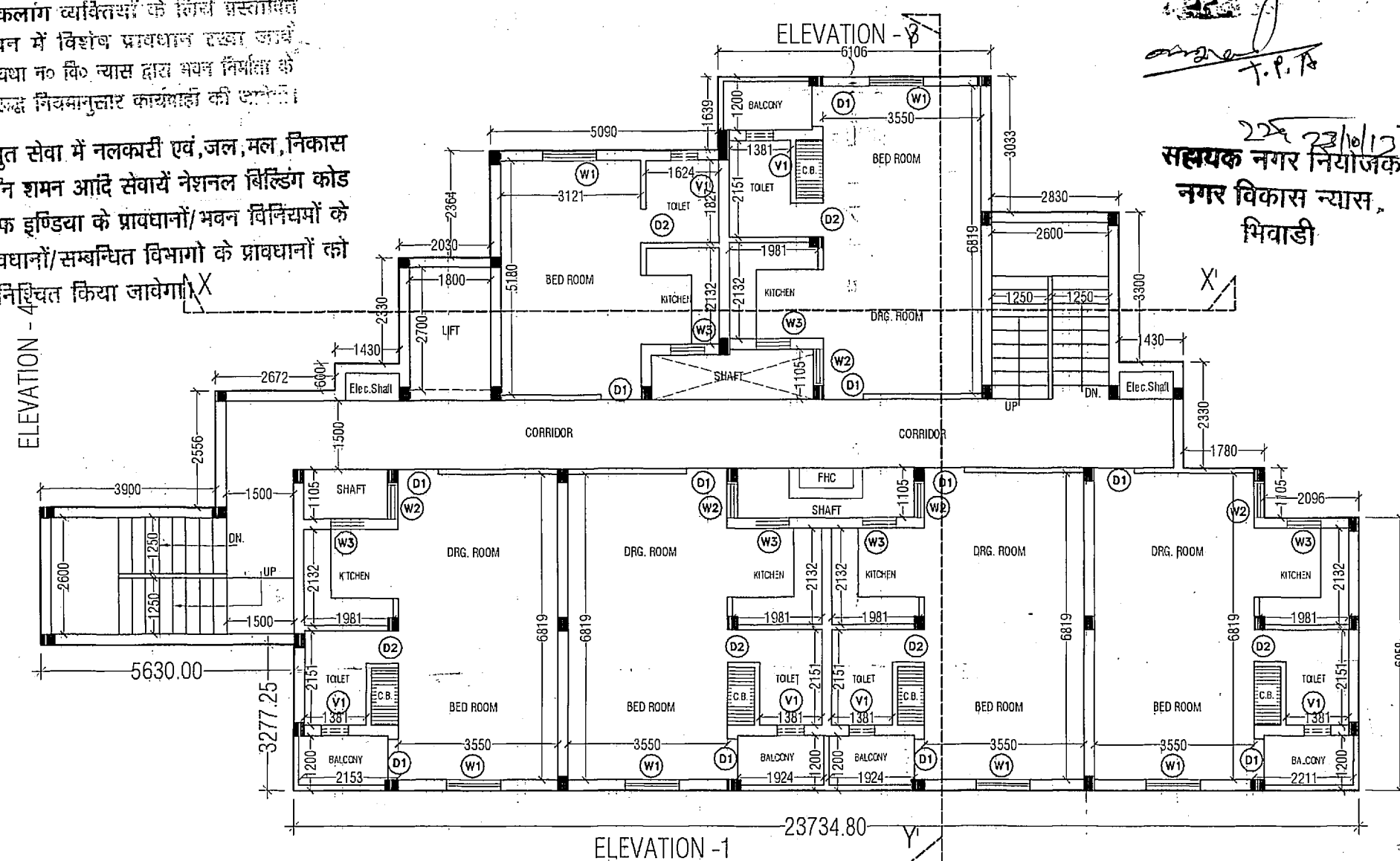
अनुमोदन

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विद्युत सेवा में नलकरी एवं जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिडिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।



इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशानगत भूमि/मुखण्ड के प्राप्ति
स्वाभित्त्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वाभित्त्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rein Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

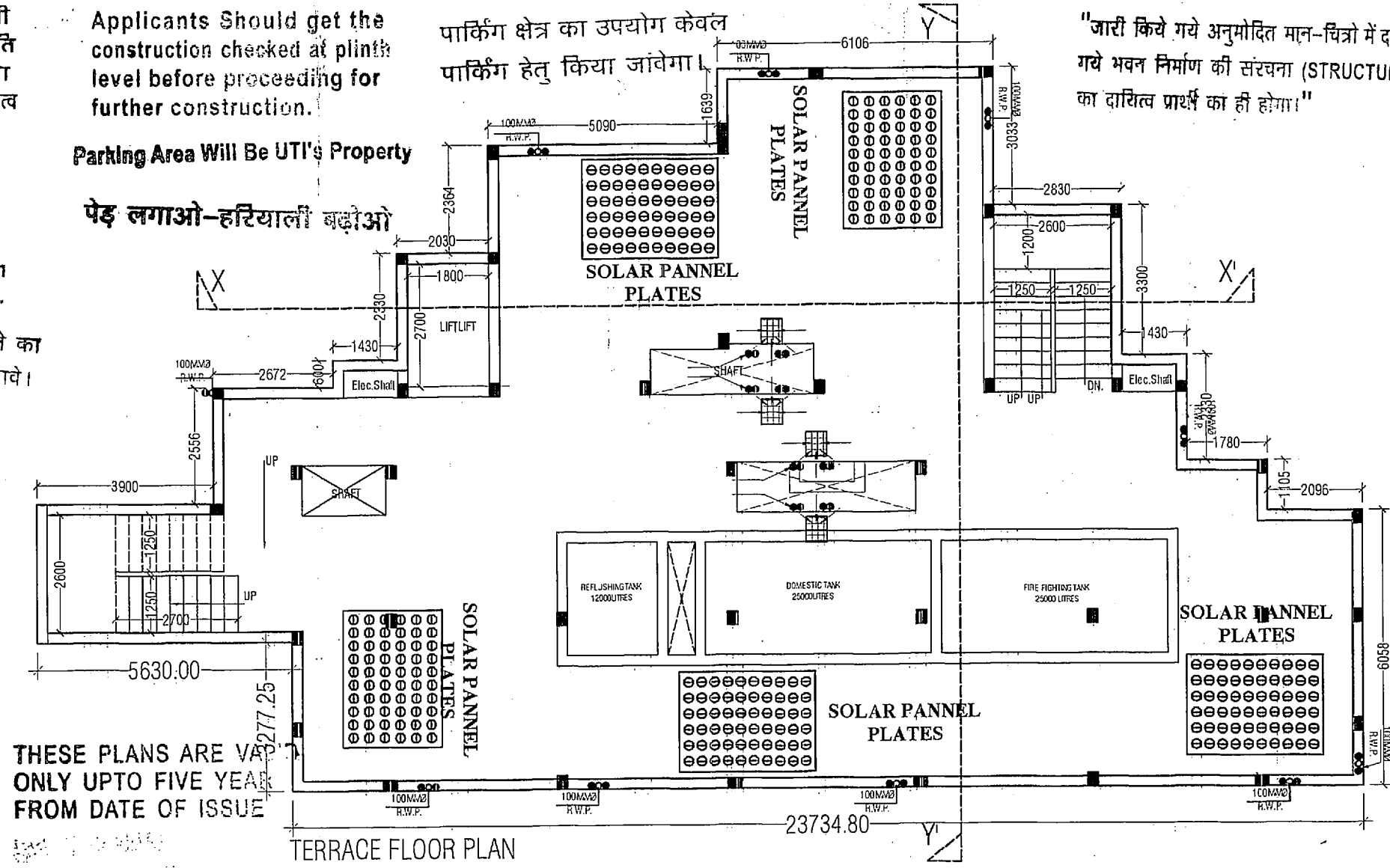
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

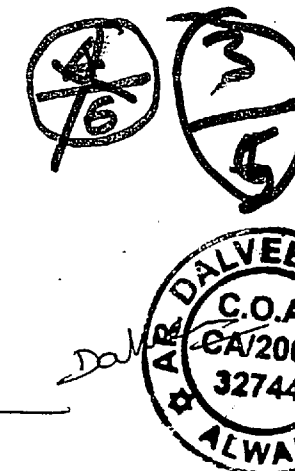


THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 12/9/15
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 4891-24/11/13

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director



OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC. 31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V

AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38, 41, 169, 171, 172,
TEHSIL TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

STILT FLOOR & FIRST TO EIGHT
FLOOR & TERRACE FLOOR PLAN

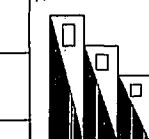
SHEET NO.

04

SCALE:-

1:125

CONSULTANTS:-



Anoop singh & associates

Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68, 69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332150 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S. NO.	TYPE	SIZE	SILL. LEVEL	HEIGHT
01	D1	900.0	00	2100.0
	D2	750.0	00	2100.0
	W1	1200.0	750.0	2100.0
	W2	750.0	750.0	2100.0
	W3	750.0	1050.0	2100.0
	V	600.0	1500.0	2100.0

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकरी एवं, जल, गैस, निष्कास अग्नि शक्ति आदि सेवाएं नेशनल बिडिंग फोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों की सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भौतिक प्रमाणित भूमि/मुखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

TOTAL NOS. OF FLAT IN BLOCK-Z {PLOT-C}
(1 EWS+5 LIG ON EACH FLOOR){S+8} = 48

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Applicants Should get the
construction checked at plot
level before proceeding for
further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 12/3/17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 225/23/10/17

सहयक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

नगर विकास न्यास,
भिवाडी (अलवर)

PARKING CALCULATION

REQ. Two-Wheeler FOR BLOCK-Z	RESIDENTIAL	48.00	NOS.	No. Of Total Flat
	COMMERCIAL	N.A.	NOS.	
EXTRA VISITOR PARKING	25% OF REQ. PARKING	12.00	NOS.	
TOTAL REQ. TWO-WHEELER		60.00	NOS.	

REQUIRED TWO WHEELERS FOR BLOCK-Z

2-WHEELER	60.00
-----------	-------

DETAIL OF ACHIEVED PARKING

ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN STILT FLOOR	TOTAL	27
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN OPEN AREA	TOTAL	34
TOTAL ACHIEVED TWO WHEELER NOS.		= 61 NOS.

OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-

PARKING PLAN OF PLOT-C

DRN. BY:-

SUNIT TANEJA

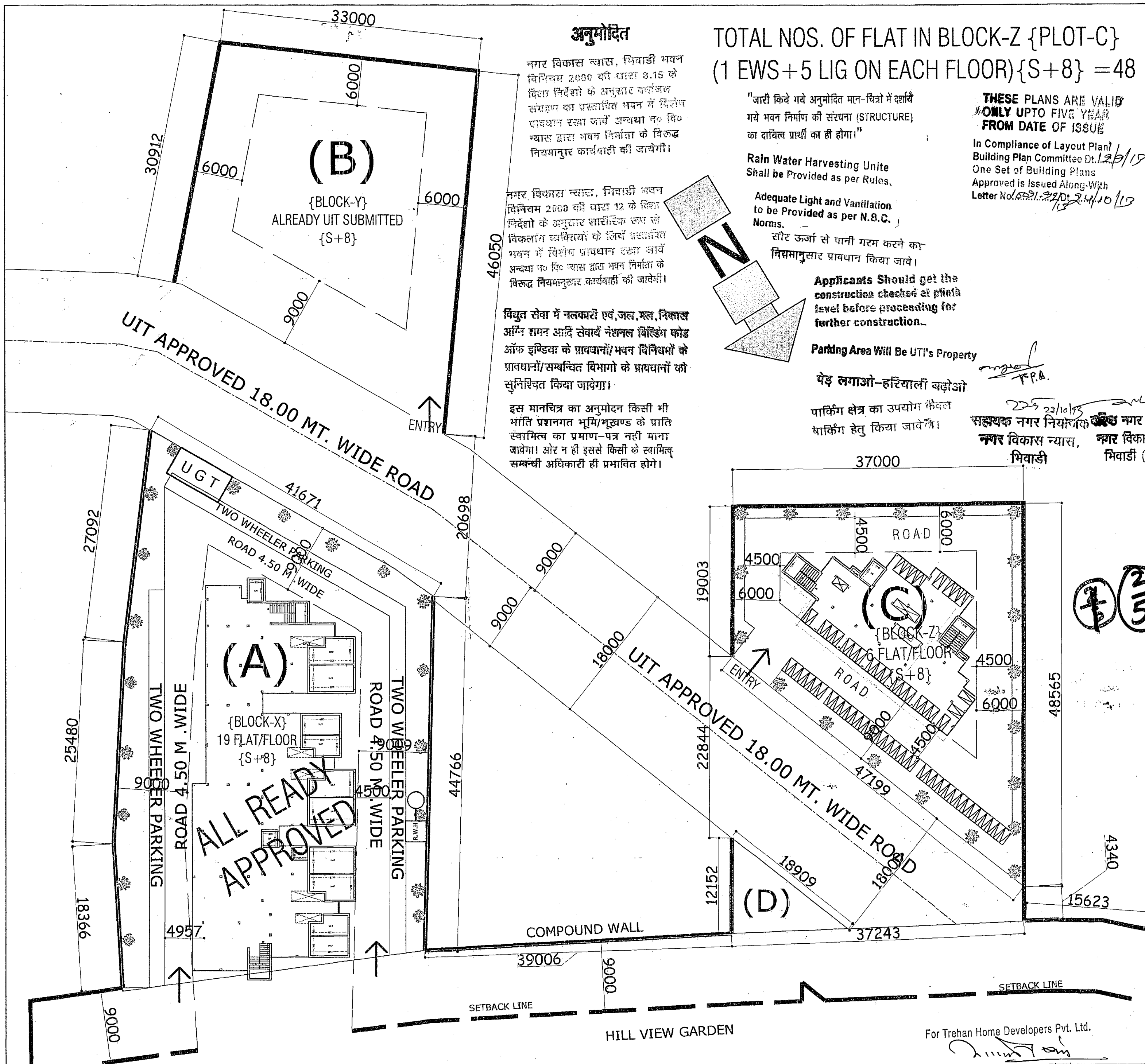
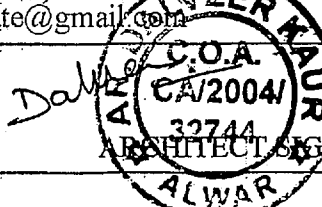
SCALE:- 1: 350

DRG. NO:- 2

CONSULTANTS:-

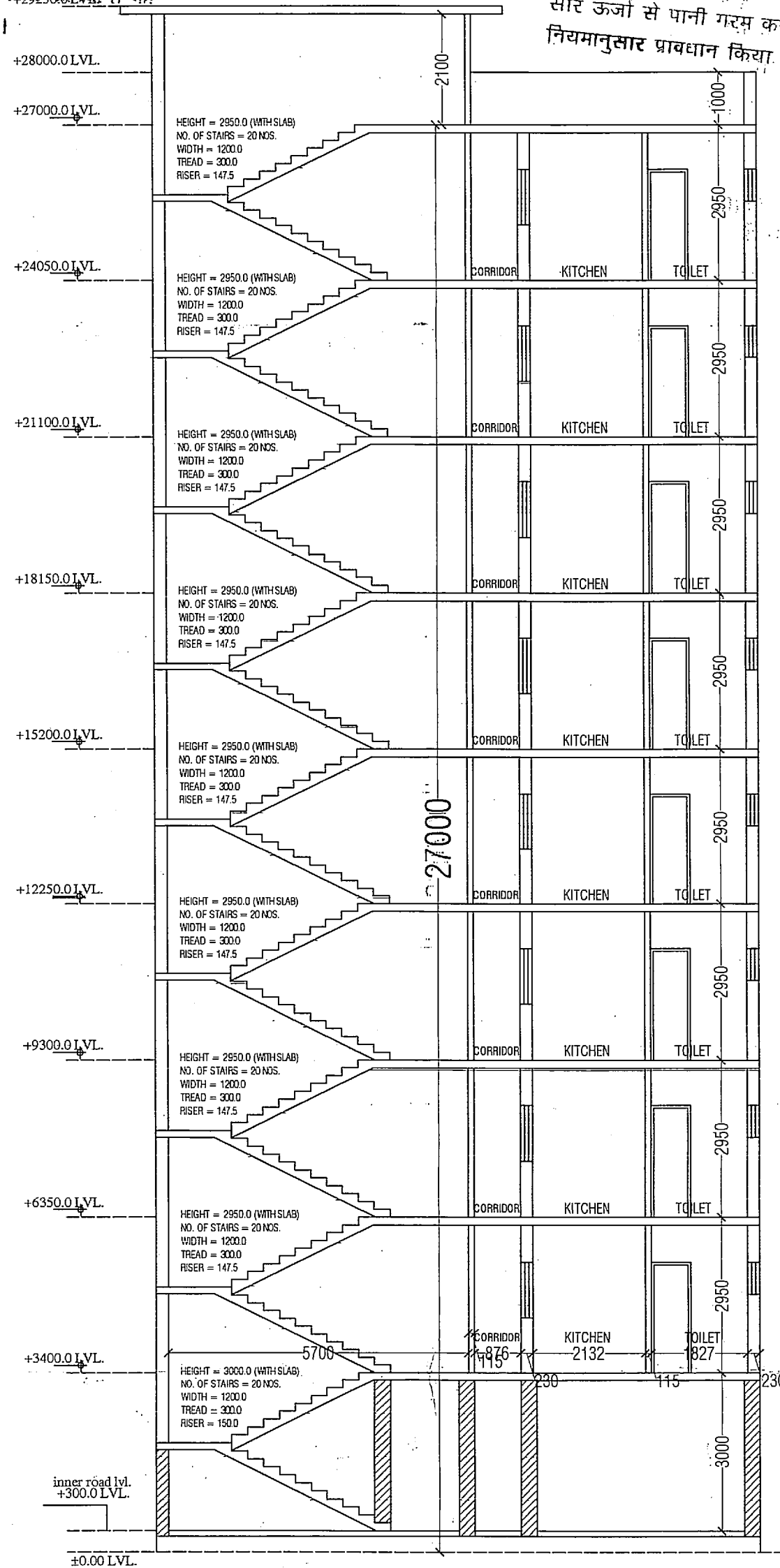
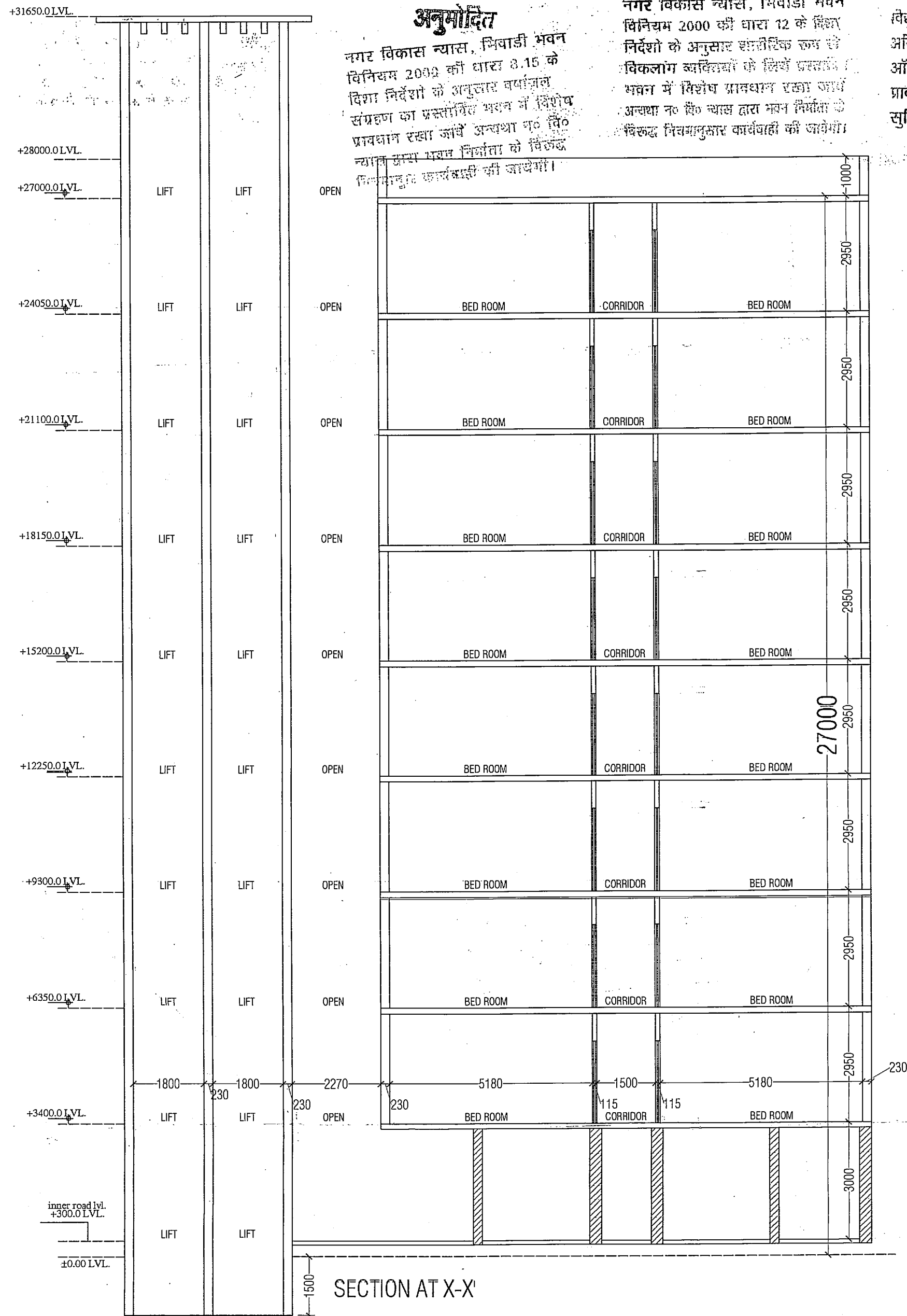
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (MO)9829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN.

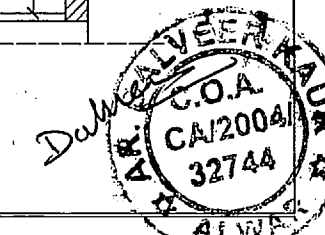


For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director



For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.



Applicants Should get the construction checked at plot level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

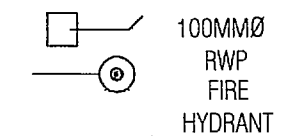
"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 12/9/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 11/2023 Dt. 24/11/13
34/13

22/23/10/13
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

23/1/16
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-
BLOCK-Y AT PLOT-B
SECTION AT X-X & Y-Y

SHEET NO.
7
SCALE:- 1:100

CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates

Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

नगर विकास न्यास, पिबाडी भवन
विनियम 2009 की धारा 8-15 के
द्विमा निर्देशों के अनुसार संशोधन
समूहण को प्रस्तावित भवन में विरोध
प्रार्थान रखा जावे। अन्तथा १० दि०
न्यास द्वारा भवन नियात के दि०
नियमनार कार्रवाई की जायेगी।

नगर विकास खास, गिर्वाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के हिसाब
निर्देशों के अनुसार संपादित रूप से
विशेषांग व्यक्तियों को निर्जित प्रतापीय
भवन में विशेष प्राधान्य, रसायन
अथवा गैर-रसायन द्वारा भवन निर्माण
के लिए गिर्वाडी की शर्तों के

विद्युत सेवा में नैलकटी एवं जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ़ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
समिष्टित किया जायेगा।

सुनिश्चित किया जावेगा।
इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशासनगत भूमि/प्लानेट को प्राप्ति
स्वागित्वा का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वाभिमान
आधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules,
Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.

Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
सिद्धान्तसार प्राधान किया जावे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UT's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

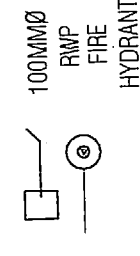
पार्किंग क्षेत्र का उपविभाग (२०००)

पाकिंग हेतु किया जावेगा।
"जैसे किन्हे गये अनमोदित मान-यत्रो में दशदि

जोरा। किथ गव अजुनाका म. (STRUCTURE)

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan,
Building Plan Committee On 25/9/19
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 16628-24/11/2014/19/19



OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WFSITE:- www.tdindia.com E-Mail: info@tdindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIARA DISTT. ALWAR.(RAJ.)

DRG. TITLE:- BLOCK-Y AT PLOT -B
ELEVATION -2& ELEVATION -4

SHEET NO.	6
SCALE:-1:150	

CONSULTANTS:-	
---------------	--



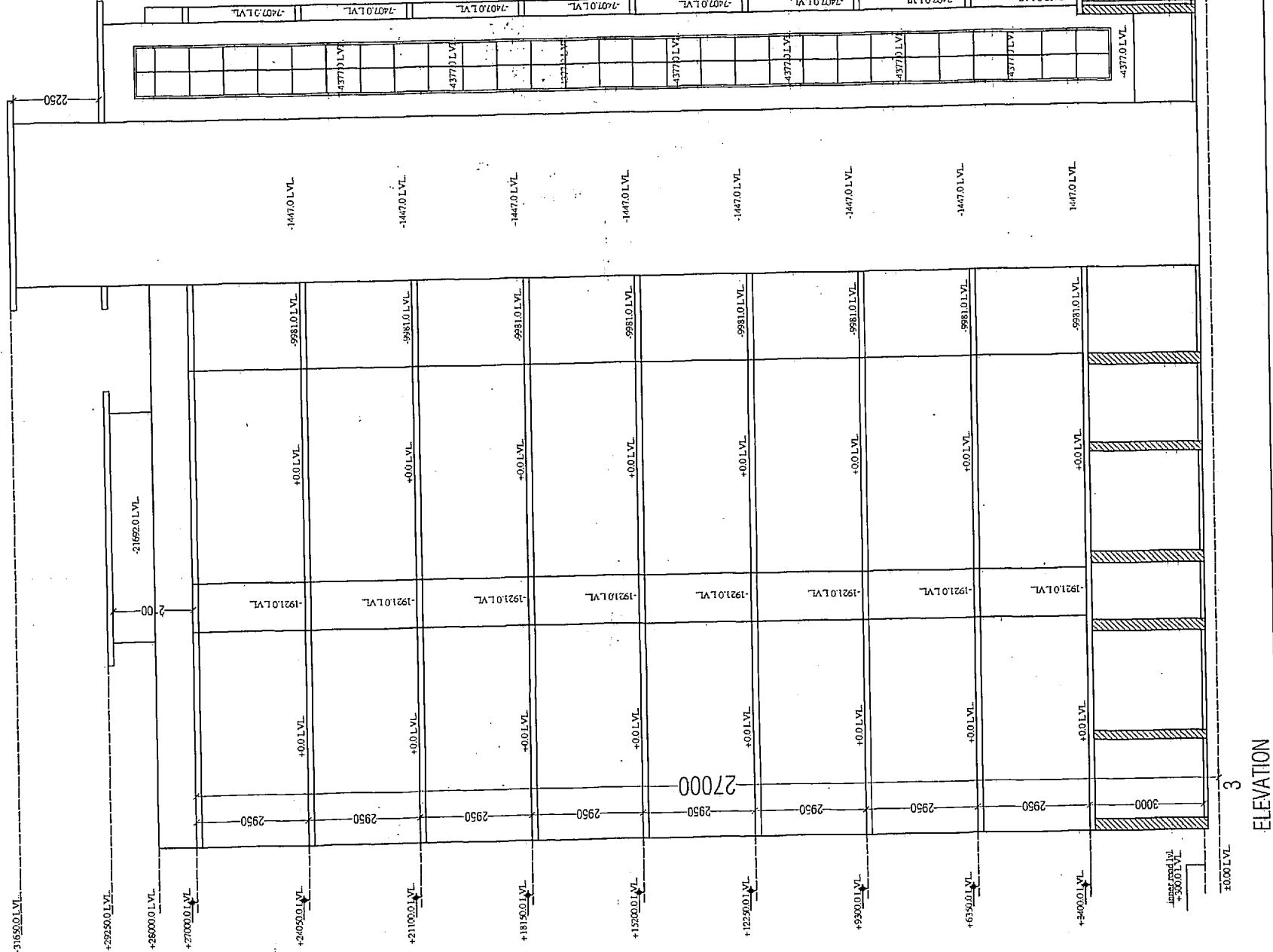
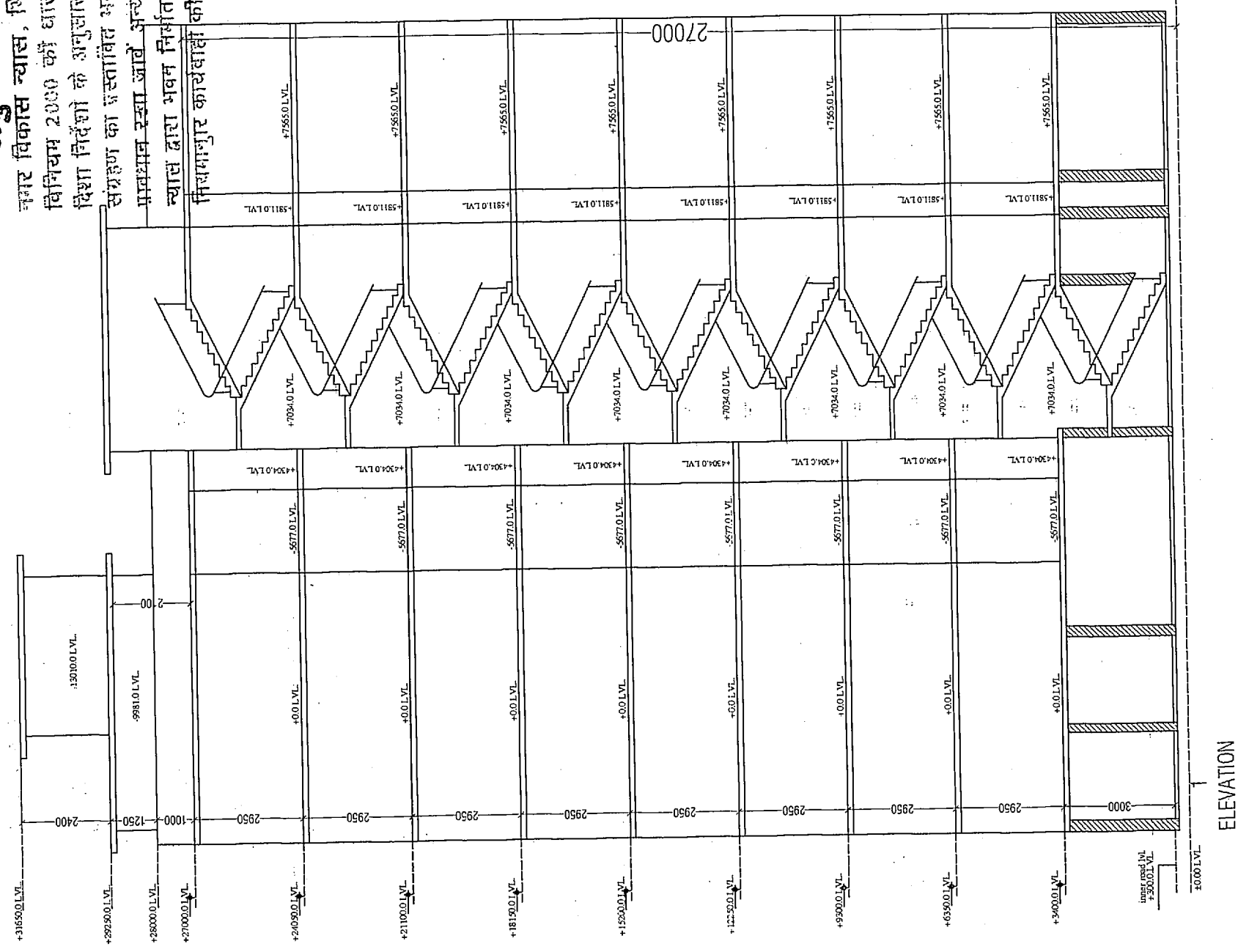
Dr. Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68-69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 01 44-02336003 (Fax) 2332250 (M) 0982913700
E-mail-anoop.s.associates@gmail.com

29137096

For Trahan Home Developers Pvt. Ltd.

Carrie Ann
Director

अनुमोदित
नगर विकास न्यास, शिवाड़ी भवन
विनियम 2009 को धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार तय्यार
संशुद्ध का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रामाण्य रखा जावे। शर्तें तथा नोट
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
निर्वाहानुर कार्यवाही की जायेगी।



नगर विकास न्यास, शिवाड़ी भवन
विनियम 2009 को धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शिवाड़ी भवन से
विकल्पित व्यवस्थाओं के निर्माण प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रामाण्य रखा जावे।
अन्य नोट न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध निर्वाहानुर कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकरी एवं जल मल निकास
आदि श्रम आदि सेवाएँ नेशनल बिलिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।
इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भूतल प्रमाणित भूमि/गुड्स के प्राप्ति
स्वाभित् का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules,
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।
Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

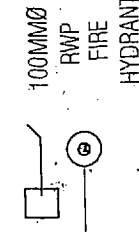
Parking Area Will Be Utl's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।
"जारी किये गये अनुमोदित मल-विद्युत में दवाबे
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का तौल्ले शर्तों का ही होगा।"
THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan
Building Plan Committee Dt. 12/09/19
One Set of Building Plans
Approved Issued Along With
Letter No. 10898-Sub/110/19

22/09/19
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
शिवाड़ी

वरिष्ठ नगर निर्वाहक
नगर विकास न्यास
शिवाड़ी (अलवर)



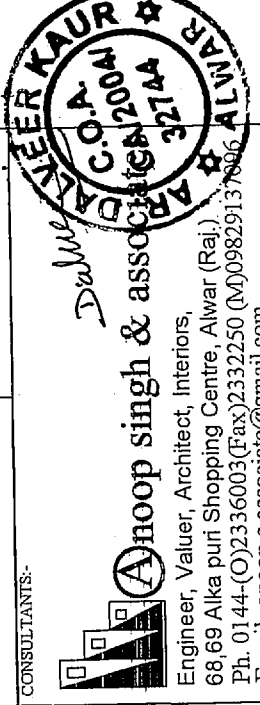
OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
16/1 SPRING FIELD COLONY, SEC-31, FARIDABAD (HARYANA)
WEBSITE:- www.trehan.com • E-Mail : info@trehan.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TJARA, DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-
BLOCK-Y AT PLOT-B
ELEVATION -1& ELEVATION-3

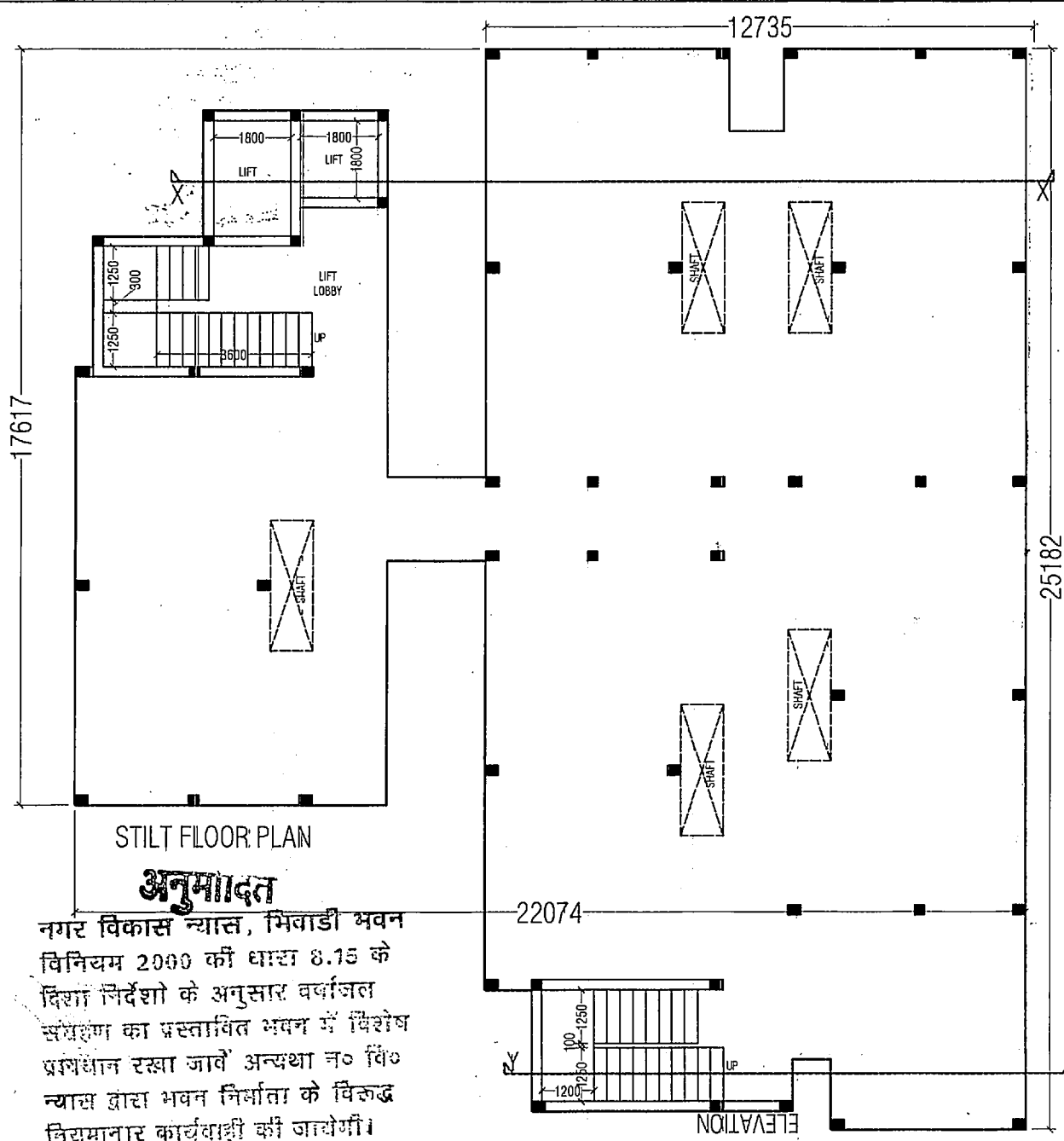
SHEET NO. 5
SCALE:-1:150

CONSULTANTS:-

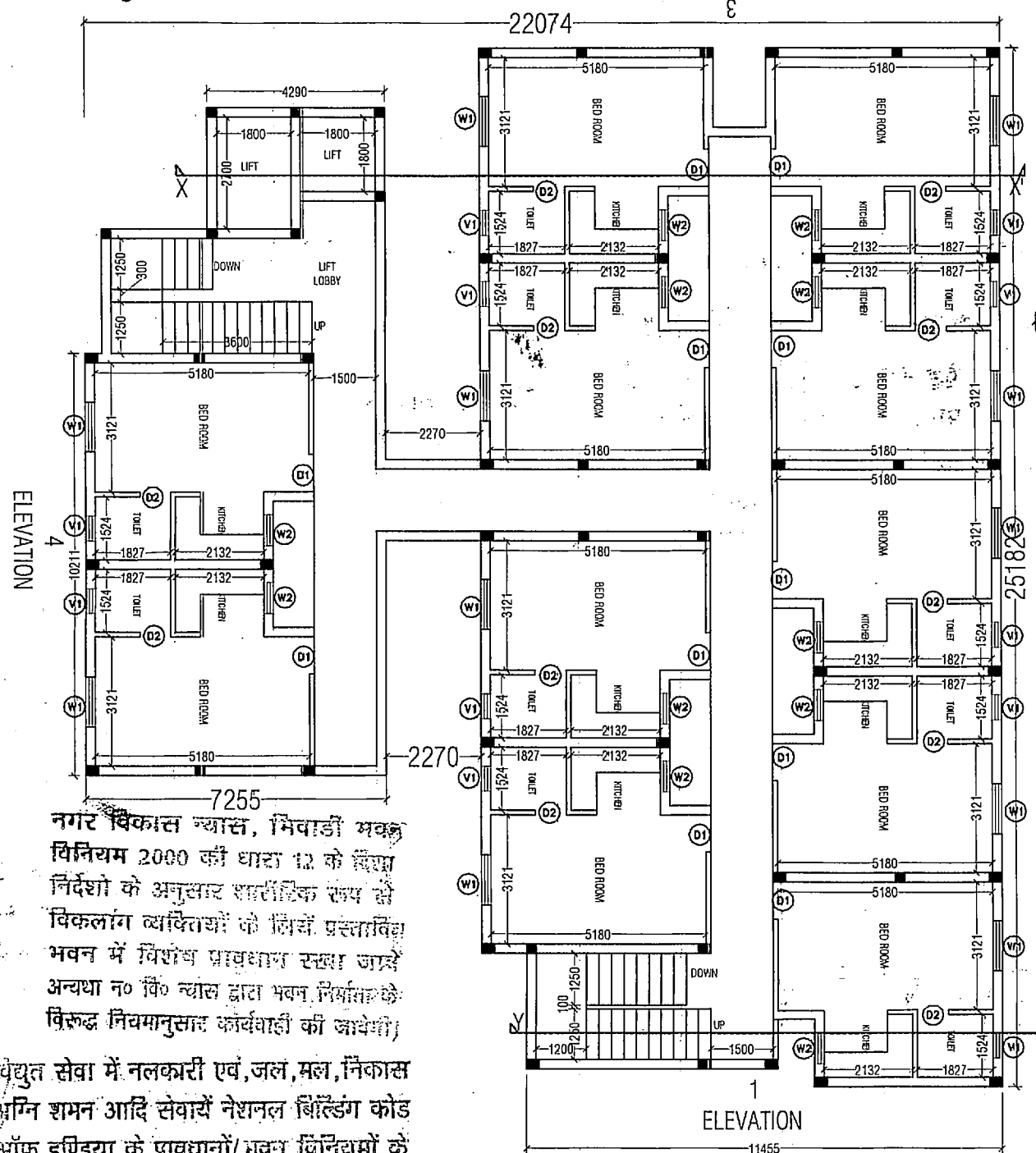


For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Chiranjeev
Director

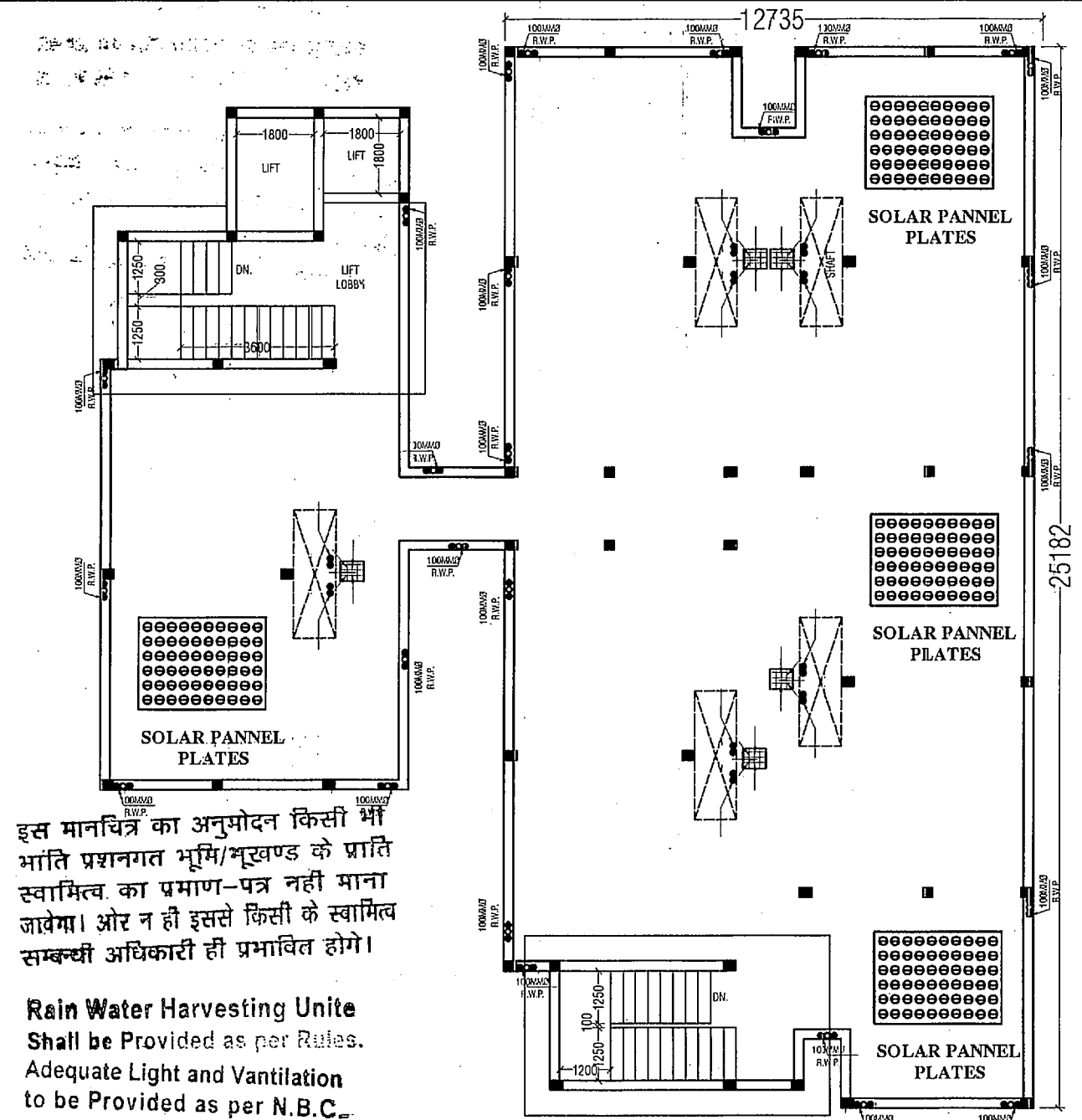


अनुमोदित
नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
द्वारा निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत
संरचना का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
विद्युत सेवा में नलकरी एवं, जल, मल, निकास
आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
अनुसरित किया जावेगा।

FIRST TO EIGHTH FLOOR PLAN SAME



इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशन्नगत भूमि/मुखण्ड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

TERRACE FLOOR PLAN

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Applicants Should get the
construction checked at plot level
before proceeding for
further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित भवन-चित्रों में दर्शाये
वृक्ष भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
के दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 12/9/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 12222-294/13

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

100MMØ
RWP
FIRE
HYDRANT

OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thindia.com * E-Mail : info@thindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA, DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:- BLOCK-Y AT PLOT -B
STILT FLOOR, FIRST TO EIGHTH FLOOR &
TERRACE FLOOR PLAN

SHEET NO.4

SCALE:-1:150

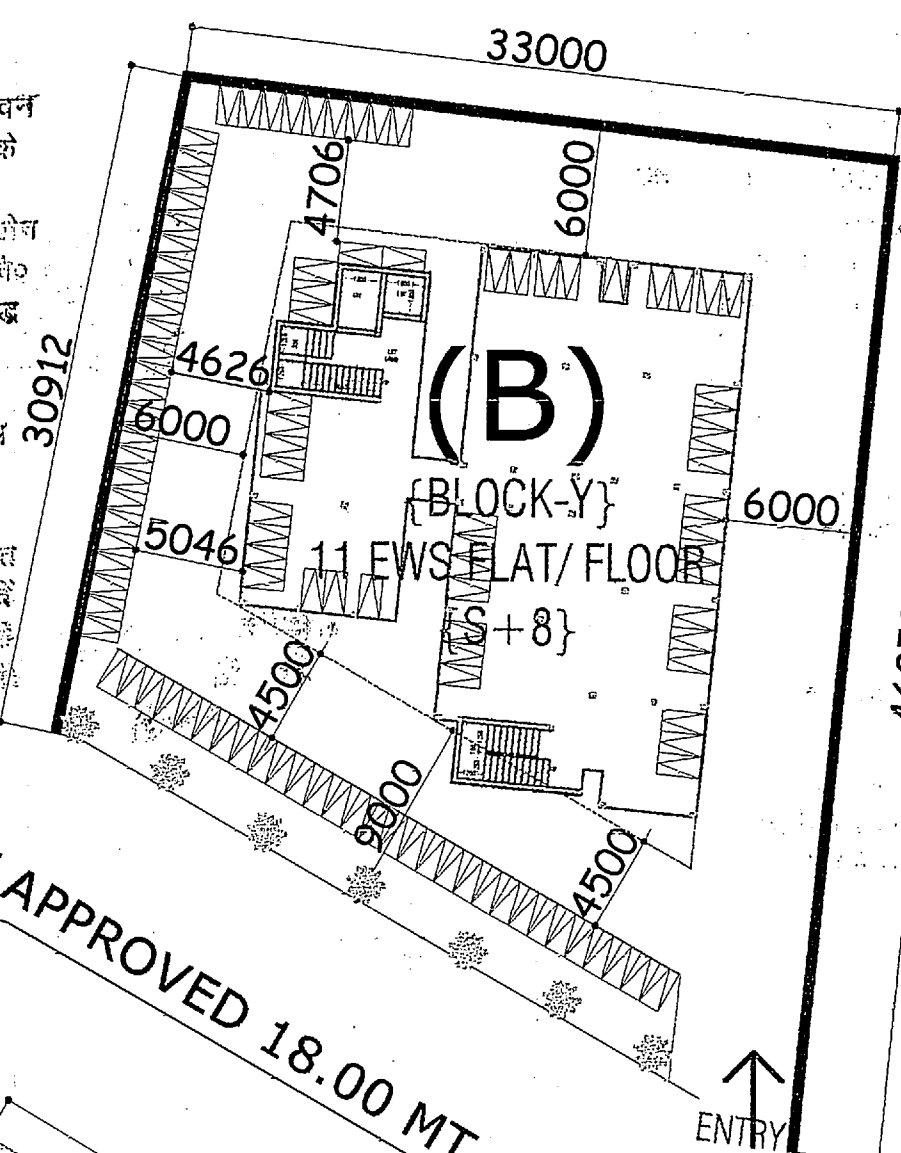
CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS				
S. NO.	TYPE	SIZE	SILL. LEVEL	HEIGHT
01	D1	900.0	00	2100.0
	D2	750.0	00	2100.0
	W1	1200.0	750.0	2100.0
	W2	750.0	1050.0	2100.0
	V	600.0	1500.0	2100.0

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशस्तित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UT's Property.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल

पार्किंग हेतु किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राथमिक का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

TOTAL NOS. OF FLAT IN BLOCK-Y {PLOT-B}
(11 EWS ON EACH FLOOR) {S+8} = 88

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt/29/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No/42354/Dt/29/13

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

PARKING CALCULATION

REQ. Two-Wheeler FOR BLOCK-Y	RESIDENTIAL	88.00	NOS.	No. Of Total Flat
	COMMERCIAL	N.A.	NOS.	
EXTRA VISITOR PARKING	25% OF REQ. PARKING	22.00	NOS.	
TOTAL REQ. TWO-WHEELER		110.00	NOS.	

REQUIRED TWO WHEELERS FOR BLOCK-Y

2-WHEELER	110.00
-----------	--------

DETAIL OF ACHIEVED PARKING

ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN STILT FLOOR	TOTAL	40
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN OPEN AREA	TOTAL	71
TOTAL ACHIEVED TWO WHEELER NOS.		= 111 NOS.

OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V

AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-

PARKING PLAN OF PLOT-B

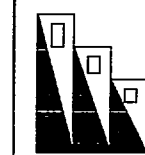
DRN. BY:-

SUNIT TANEJA

SCALE:- 1: 350

DRG. NO:- 2

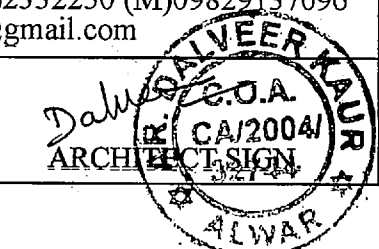
CONSULTANTS:-



Anoop singh & associates

Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN.



For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director

HILL VIEW GARDEN

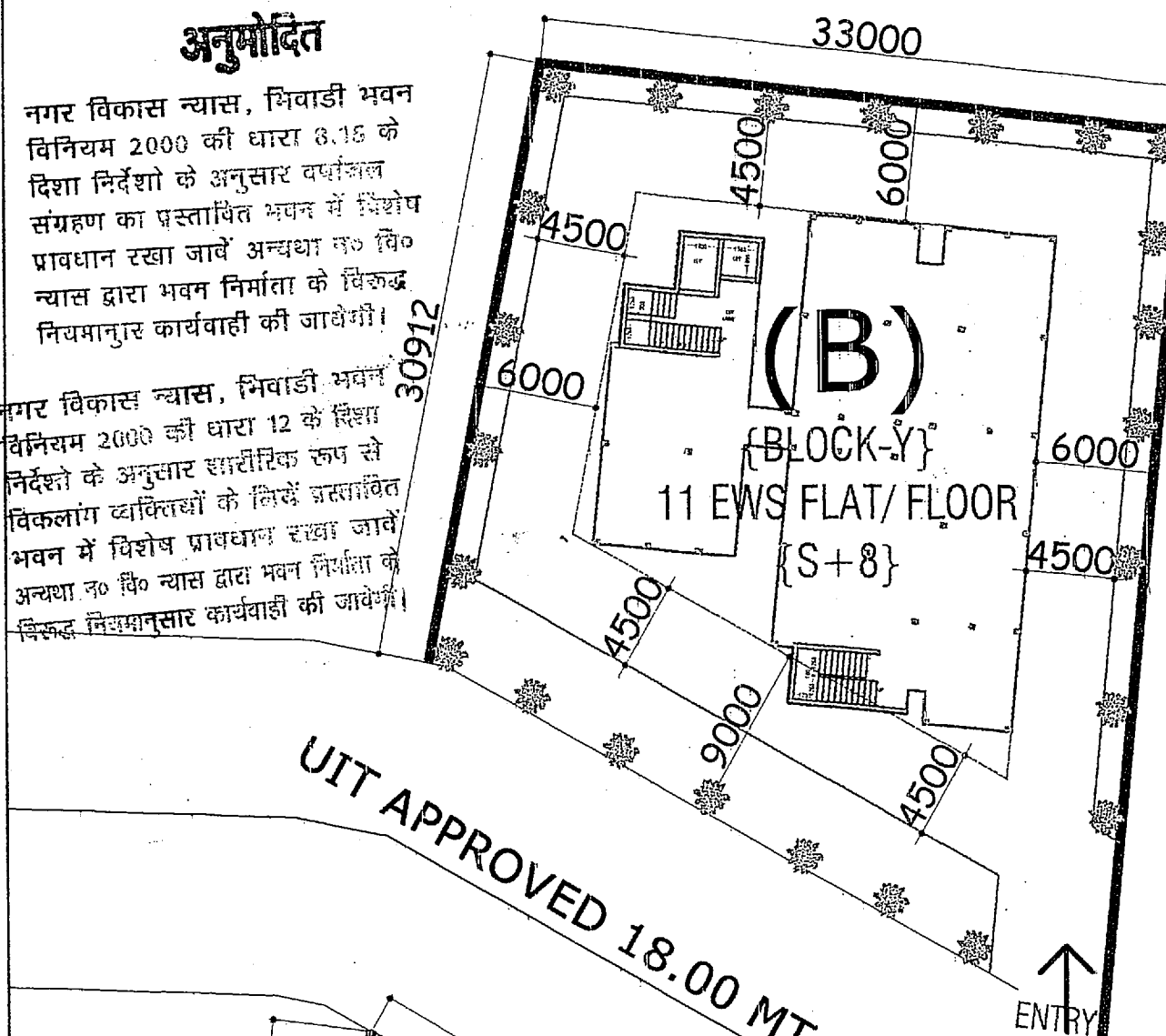
ALL READY
APPROVED



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार स्थायी रूप से
विकलांग व्यक्तियों के निवेश प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



विद्युत सेवा में नलकरी एवं जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशानगत भूमि/मुखण्ड के प्राप्ति
स्वाभित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वाभित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rein Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per N.B.C.
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने की
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Parking Area Will Be UT's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल

पार्किंग हेतु किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

TOTAL NOS. OF FLAT IN BLOCK-Y {PLOT-B}
(11 EWS ON EACH FLOOR) {S+8} = 88

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/9/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 493-S-30/13.12/13

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी (अलवर)

AREA CALCULATION DETAIL

PLOT NAME	LAND AREA	PERM. GROUND COVERAGE	ACHVD. GROUND COVERAGE AREA	TOTAL NOS. OF FLAT	ACHVD. FAR AREA
PLOT-A	2270.85 SQM.	35 %	795.33 SQM.	152	4980.72 SQM.
PLOT-B	1327.66 SQM.	30 %	406.26 SQM.	88	2336.71 SQM.
PLOT-C	1251.77 SQM.	30 %	FUTURE EXPANSION		
PLOT-D	87.25 SQM.	35 %	FUTURE EXPANSION		
TOTAL	4937.53 SQM.		1182.59 SQM.		7317.43 SQM.
PERCENTAGE					
TOTAL PLOT AREA			5800.00 SQM.		
SURRENDER AREA IN ROAD			862.47 SQM.		
NET PLOT AREA			4937.53 SQM.		
PERMISSIBLE FAR		1.33 @ 4937.53	6566.91 SQM.		
SURRENDER AREA IN ROAD		1.00 @ 862.47	862.47 SQM.		
TOTAL PERMISSIBLE FAR			7429.38 SQM.		1.50
COMMERCIAL FAR		3% @ PERM. FAR	222.88 SQM.		0.03
RESIDENTIAL FAR			7206.50 SQM.		
ACHVD. GROUND COVERAGE		In Plot "A" & "B"	1182.59 SQM.		23.95 %
PERM. GREEN AREA		10 % @ NET PLOT AREA	493.75 SQM.		10.00 %
ACHVD. GREEN AREA		In Plot "A"	508.38 SQM.		10.30 %
PERM. HEIGHT			27 MT.		
PROPOSED HEIGHT			27 MT.		
PERMISSIBLE CORRIDOR AREA			1097.61 SQM.		
ACHVD. CORRIDOR AREA		Total of A (847.09)+B (508.82)	1355.91 SQM.		
EXTRA CORRIDOR AREA			258.30 SQM.		
PROPOSED FAR			176.36 SQM.		In Plot "A"
COMMERCIAL FAR			7317.43 SQM.		
RESIDENTIAL FAR		Far of A (4980.72)+B (2336.71)	7317.43 SQM.		
EXTRA CORRIDOR AREA			258.30 SQM.		
TOTAL ACHVD. FAR			7754.09 SQM.		1.57
REQ. Two-Wheeler FOR BLOCK-Y		RESIDENTIAL	88.00 NOS.		No. Of Total Flat
		COMMERCIAL	N.A.		
EXTRA VISITOR PARKING		25% OF REQ. PARKING	22.00 NOS.		
TOTAL REQ. TWO-WHEELER			110.00 NOS.		
EXTRA FAR WITH BETTERMENT LEAVY					
COMMERCIAL			NIL		
RESIDENTIAL			324.70 SQM.		0.07
REQ. FAR FOR EWS-LIG OF STATUS RESIDENCY, TAPOOKARA			2562.39 SQM.		
REQ. FAR FOR EWS-LIG OF THE GARDEN, TEADA-BHIVADI			3484.05 SQM.		
REQ. TOTAL FAR FOR EWS-LIG			6046.44 SQM.		
TOTAL ACHVD. BUILTUP AREA FOR EWS-LIG (5167.92+2336.71)			7504.63 SQM.		
EXTRA ACHVD. AREA OVER THAN EWS-LIG TO BE PROVIDED			1438.19 SQM.		

PARKING CALCULATION

REQUIRED TWO WHEELERS FOR BLOCK-Y		
2-WHEELER		110.00
DETAIL OF ACHIEVED PARKING		
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN STILL FLOOR	TOTAL	40
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN OPEN AREA	TOTAL	71
TOTAL ACHIEVED TWO WHEELER NOS.		= 111 NOS.

OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V

AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-

MASTER PLAN OF PLOT-B

DRN. BY:-

SUNIT TANEJA

SCALE:-

1: 350

DRG. NO.:- 1

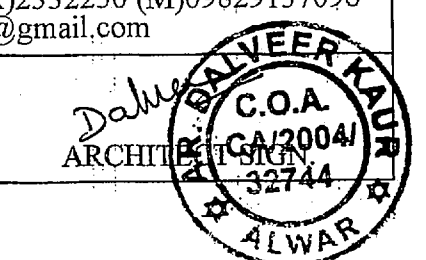
CONSULTANTS:-



Anoop singh & associates

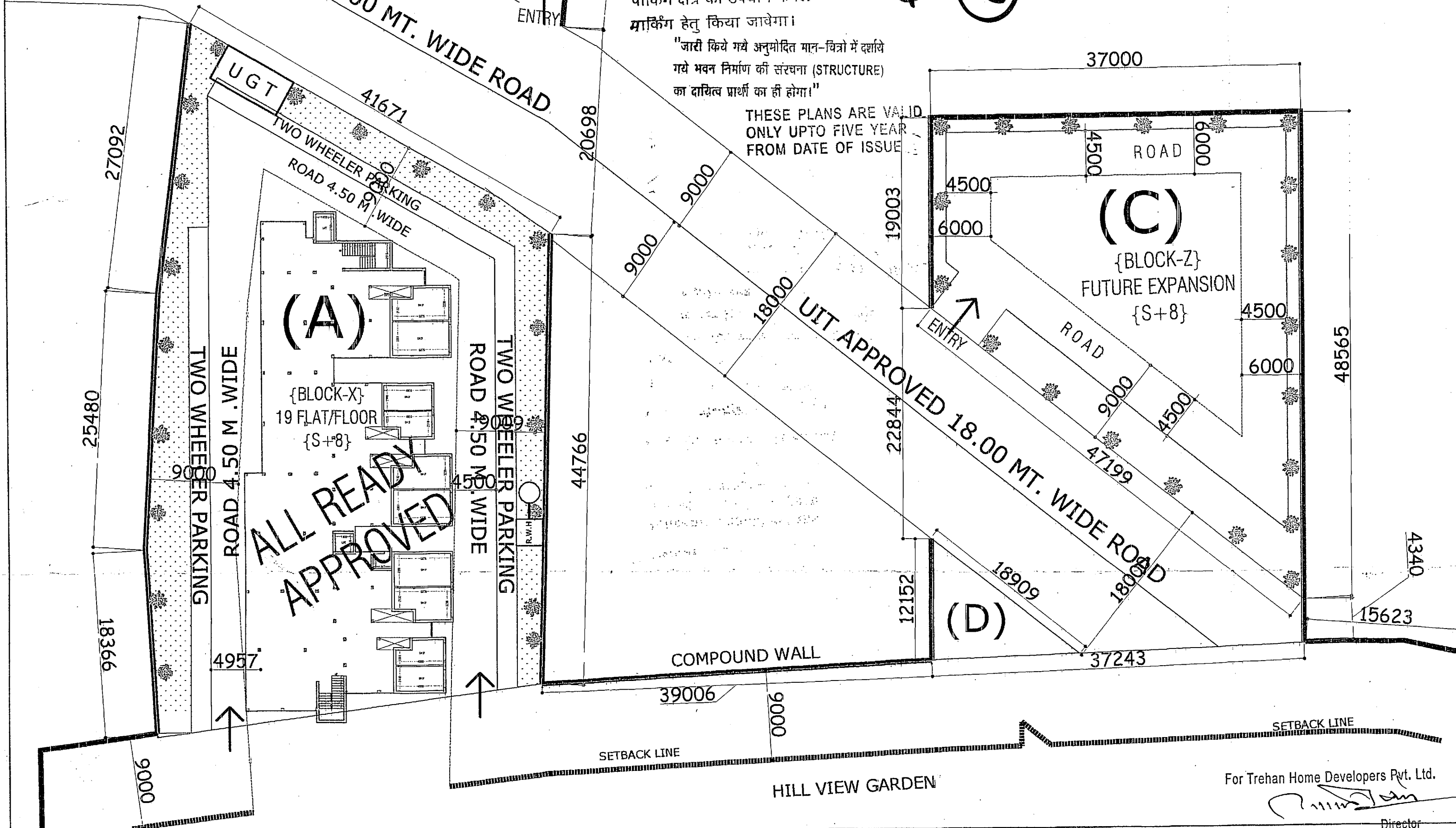
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN.



For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director



अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 9008/2013 Dt. 6/9/13

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावेगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

(B)
FUTURE
EXPANSION

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2008 की धारा 8.15 के
द्वारा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
संग्रहण का प्रावधान भवन में विशेष
प्राधान्य देकर कार्य भवन निर्माण के
न्यास द्वारा भवन निर्माण को प्रारंभ
निर्माण कार्यवाही की जाएगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्राप्त करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव
पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया
जाया अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UTI's Property

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भारत प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी की प्रभावित होगी।

TOTAL UNITS IN BLOCK-X{S+8}=
TOTAL EWS UNIT= 9 X 8= 72 NOS.
TOTAL LIG UNIT= 10 X 8= 80 NOS.
=152 NOS.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2008 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार प्राथमिक रूप से
विकास क्षेत्र में निर्माण कार्य
भवन में विशेष प्राधान्य देकर कार्य
अवश्य न कि न्यास द्वारा भवन निर्माण के
विषय निर्माण कार्यवाही की जाएगी।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
आदि सेवाओं के प्रावधानों/भवन विनियमों के
अनुसार/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

AREA CALCULATION DETAIL				
PLOT NAME	LAND AREA	PERM. GROUND COVG.	ACHVD. GROUND AREA	ACHVD. PERCENT
PLOT-A	2376.85 SQM.	35 %	776.33 SQMT.	34.187 %
PLOT-B	1377.66 SQM.	30 %	FUTURE EXPANSION	N.A.
PLOT-C	1251.77 SQM.	30 %	FUTURE EXPANSION	N.A.
PLOT-D	87.25 SQM.	35 %	FUTURE EXPANSION	N.A.
	4937.53 SQM.		775.63 SQMT.	
				PERCENTAGE
TOTAL PLOT AREA			5800.00	SQMT.
SURRENDER AREA IN ROAD			862.47	SQMT.
NET PLOT AREA			4937.53	SQMT.
PERMISSIBLE FAR		1.33 @ 4937.53	6566.91	SQMT.
SURRENDER AREA IN ROAD		1.00 @ 862.47	862.47	SQMT.
TOTAL PERMISSIBLE FAR			7429.38	SQMT.
				1.50
COMMERCIAL FAR		3% @ PERM. FAR	222.88	SQMT.
RESIDENTIAL FAR			7206.50	SQMT.
PERM. GREEN AREA		10 % @ NET PLOT AREA	493.75	SQMT.
ACHVD. GREEN AREA			508.38	SQMT.
PERM. HEIGHT			27 & 30	MT.
PROPOSED HEIGHT			24	MT.
PERMISSIBLE CORRIDOR AREA			747.11	SQMT.
ACHIEVED CORRIDOR AREA			847.09	SQMT.
EXTRA CORRIDOR AREA			99.98	SQMT.
PROPOSED FAR				
COMMERCIAL FAR			178.36	SQMT.
RESIDENTIAL			4980.72	SQMT.
EXTRA CORRIDOR AREA			99.98	SQMT.
TOTAL ACHIEVED FAR			5259.06	SQMT.
				1.07
REQ. E.C.U.		RESIDENTIAL	152.00	NOS.
		COMMERCIAL	12.00	NOS.
EXTRA VISITOR PARKING			41.00	NOS.
TOTAL REQ. E.C.U.			205.00	NOS.
EXTRA FAR WITH BETTERMENT LEAVY				
COMMERCIAL			NIL	
RESIDENTIAL			NIL	SQMT.
REQ. FAR FOR EWS-LIG OF STATUS RESIDENCY, TAPOOKARA			2562.39	SQMT.
REQ. FAR FOR EWS-LIG OF TID GARDEN, TIADA-BIHUWADI			3484.05	SQMT.
REQ. TOTAL FAR FOR EWS-LIG			2046.44	SQMT.
TOTAL ACHIEVED BUILTUP AREA FOR EWS-LIG			3167.92	SQMT.
NET BALANCE AREA FOR EWS-LIG TO BE PROVIDED			878.52	SQMT.

सहायक नगर (नियोजक)
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

PARKING CALCULATION

PERMISSIBLE TWO WHEELERS		
2-WHEELER		205.00
DETAIL OF ACHIEVED PARKING		
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN STILT FLOOR	TOTAL	66
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN OPEN AREA	TOTAL	140
TOTAL ACHIEVED TWO WHEELER NOS.		= 206 NOS.

OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:- MASTER PLAN

DRN. BY:-

SUNIT TANEJA

SCALE:- 1: 350

DRG. NO.:- 1

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)9929913700
Email- anoop.s.associate@gmail.com

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGN.

Director

ARCHITECT'S SIGN.

इस मानचित्र भवन मानचित्रों के अनुसार
EWS/LIG फलस्वरूप निर्माण
शेड्यूलिंग एकाधिकार का प्राप्ति/अनुमति
प्राप्त भिवाडी द्वारा निर्माण/अनुमति
विकास क्षेत्र का इस इलाका भवन/निर्माण
विभाग न्यास की स्वीकृति नहीं
किया जावेगा।

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 22/8/13 Dt. 6/9/13

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो दि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Parking Area Will Be UTI's Property

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2005
की पालना में राज्य सरकार के परिषद दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण
पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा
जमा अनिवार्य होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वाभित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

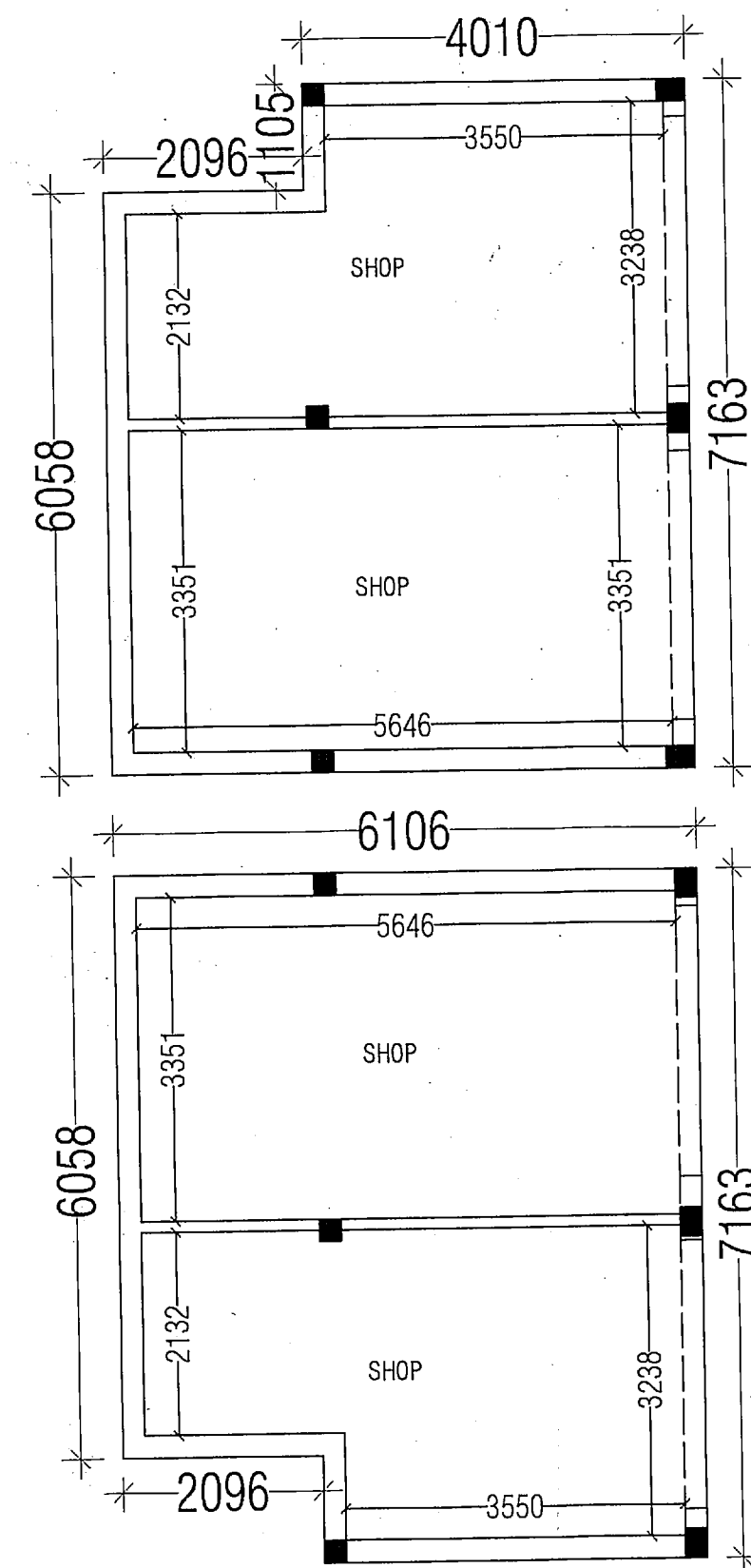
"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
पर दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

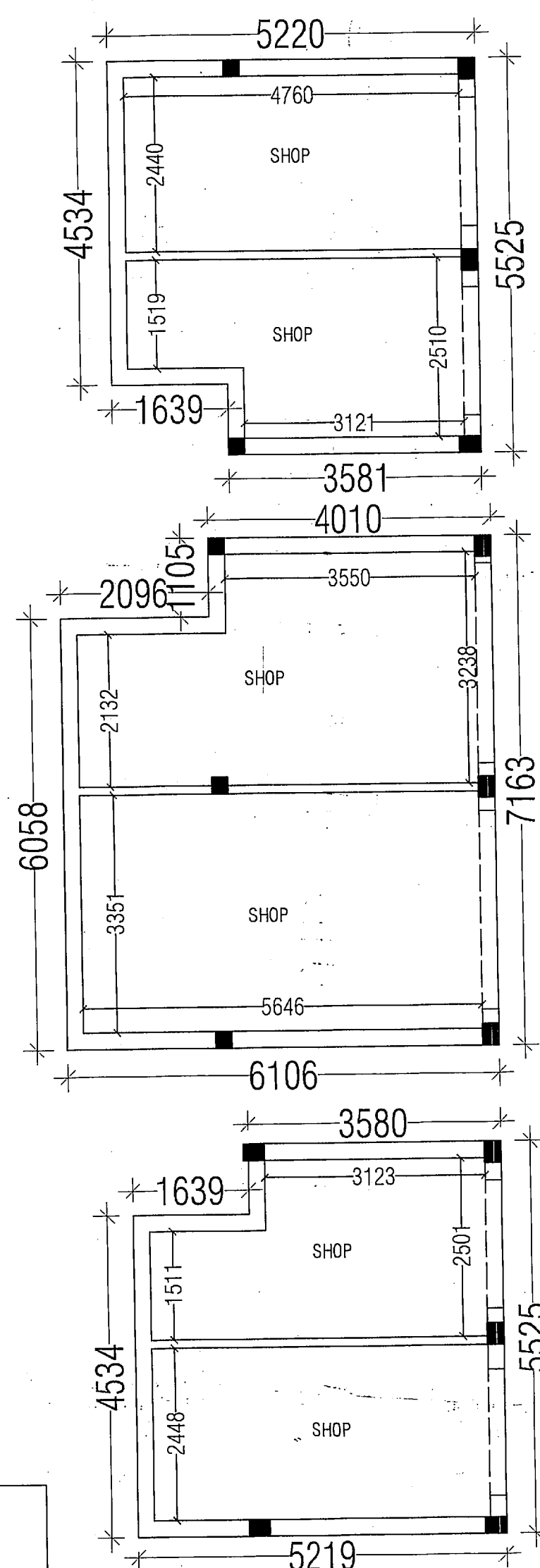
नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा नो दि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, निकास
आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
अनुसरित किया जावेगा।

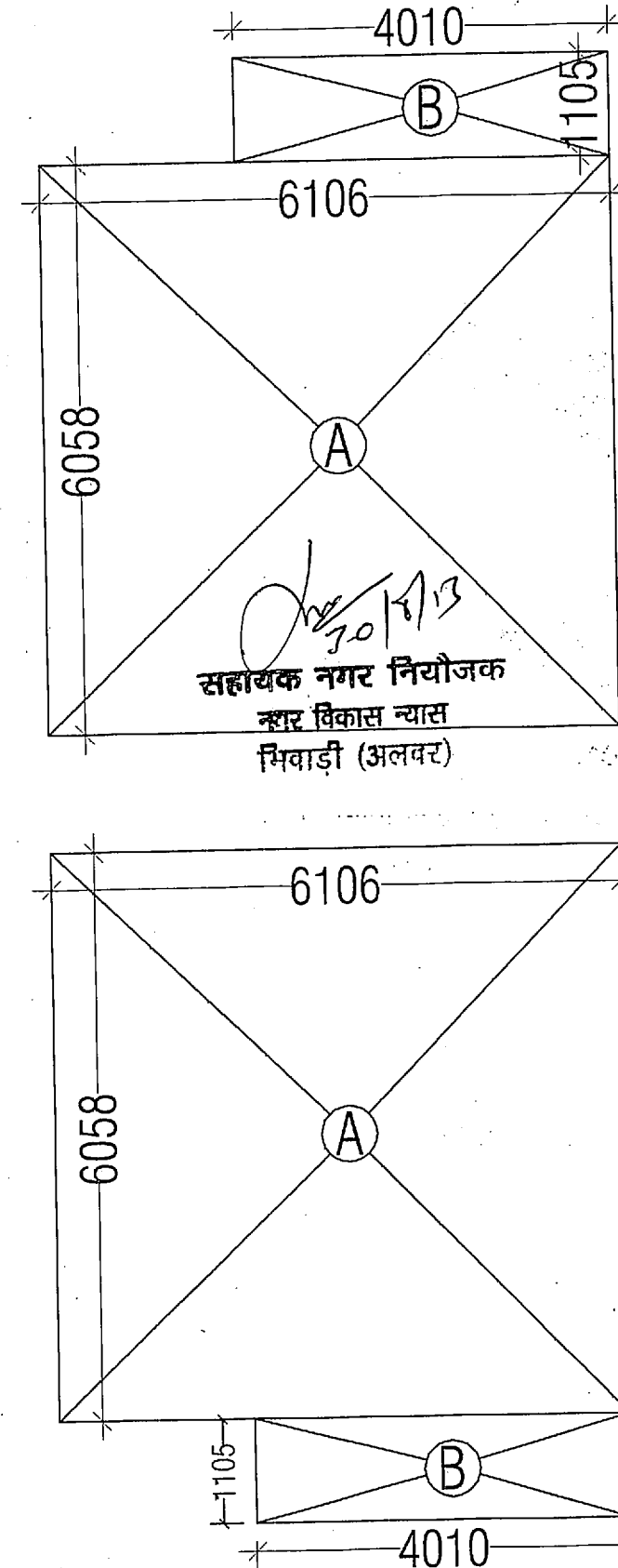
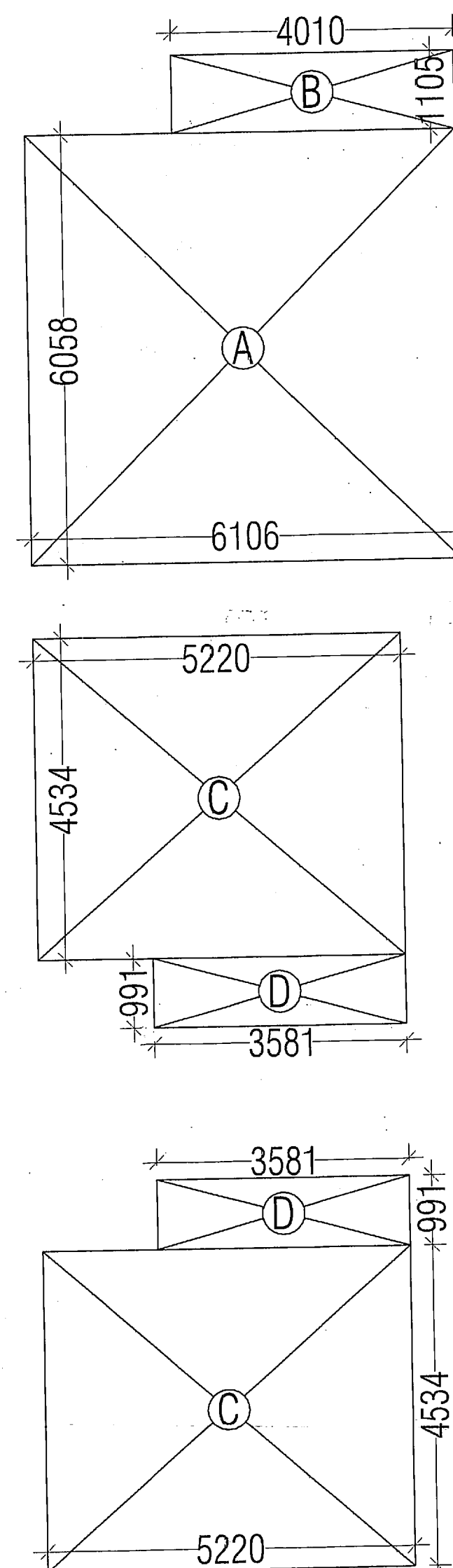


COMMERCIAL PLAN

AREA DETAIL
A = 6.106 X 6.058 = 36.90 X 3 = 110.71
B = 4.01 X 1.105 = 4.41 X 3 = 13.23
C = 5.220 X 4.534 = 23.66 X 2 = 47.33
D = 3.581 X 0.99 = 3.54 X 2 = 7.09
TOTAL FAR AREA OF COMMERCIAL=178.36



AREA DETAIL PLAN



सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

इस स्वीकृत भवन मानचित्रों
के अनुसार EWS/LIG
फ्लैट का निर्माण अप्रैल 2013
तक पूर्ण होना आवश्यक है।
अन्यथा भवन निर्माण
नहीं होना। भवन निर्माण
करने वाले भवन निर्माता
को भवन निर्माण
करने में देरी नहीं करनी
जायेगी।

OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

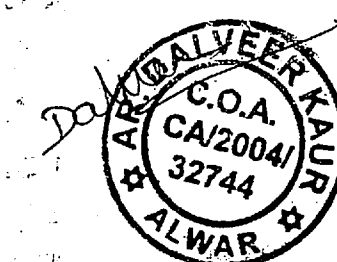
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC. 31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.trehan.com * E-Mail :- info@trehan.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38, 41, 169, 171, 172,
TEHSIL TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

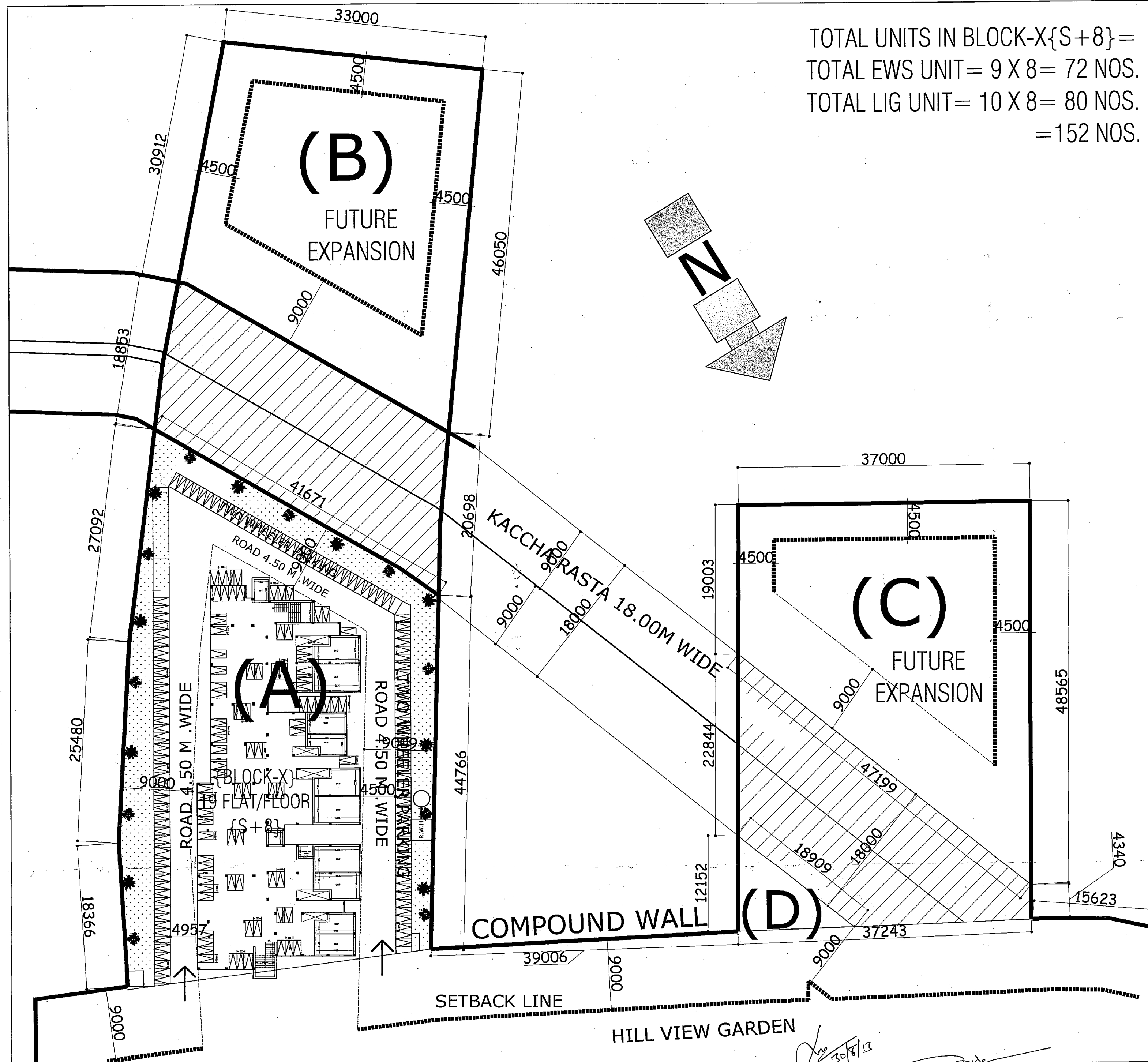
DRG. TITLE:-
COMMERCIAL PLAN & F.A.R. AREA
AT BLOCK-X

SHEET NO. 7 SCALE:- 1:75

CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68, 69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332230 (M)9829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com



Director



TOTAL UNITS IN BLOCK-X{S+8}=
 TOTAL EWS UNIT= 9 X 8= 72 NOS.
 TOTAL LIG UNIT= 10 X 8= 80 NOS.
 =152 NOS.

PARKING CALCULATION			
PERMISSIBLE TWO WHEELERS			
	2-WHEELER		205.00
	TOTAL		205 NOS.

DETAIL OF ACHIEVED PARKING		
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN STILT FLOOR	TOTAL	66
ACHIEVED 2 - WHEELER NOS. IN OPEN AREA	TOTAL	140
TOTAL ACHIEVED TWO WHEELER NOS.		= 206 NOS.

विद्युत सेवा में नलकरी एवं जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाओं के प्रावधानों/नियमों के अंतर्गत प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों सुनिश्चित किया जायेगा।

इस योजना में नलकरी एवं जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाओं के प्रावधानों/नियमों के अंतर्गत प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों सुनिश्चित किया जायेगा।

In Compliance of Layout Plan/
 Building Plan Committee Dt. 22/8/13
 One Set of Building Plans
 Approved is Issued Along With
 Letter No. 3008-9/13 Dt. 16/9/13.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
 निश्चयानुसार प्रावधान किया जावे।
 कौटुंबिक क्षेत्र का उपयोग केवल
 पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit
 Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the
 construction checked at plinth
 level before proceeding for
 further construction.

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
 की पालना में राज्य सरकार के वरिष्ठ दिनांक
 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
 का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "प्रारम्भिक प्रमाण
 पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया
 जाना अनिवार्य होगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
 विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
 निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
 विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
 भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
 अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
 विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
 भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
 स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
 जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वायत्त
 सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Parking Area Will Be UTI's Property

Adequate Light and Ventilation
 to be Provided as per N.B.C.
 Norms.

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
 विनियम 2000 की धारा 8.15 के
 दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
 संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
 प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि०
 न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
 निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
 गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
 का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।
 पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
 THESE PLANS ARE VALID
 ONLY UPTO FIVE YEAR
 FROM DATE OF ISSUE

OWNER:-
 TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
 WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail :- info@thdindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
 AT VILLAGE TATARPUR
 KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
 TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-
PARKING PLAN

DRN. BY:-
 SUNIT TANEJA

SCALE:- 1: 350
 DRG. NO.:- 2

CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates
 Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
 68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
 Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
 Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN.

ARCHITECT'S SIGN.

सहायक नगर निरीक्षक
 नगर विकास न्यास
 भिवाड़ी (अलवर)

वरिष्ठ नगर नियोजक
 नगर विकास न्यास
 भिवाड़ी (अलवर)

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 30088/Dt. 6/9/13

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
निर्माणानुसार प्रावधान किया जावे।
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल

पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unite
Shall be provided as per B.M.S.C.

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार पर्वतल
संग्रहण का इस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो विं
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की धारा में राज्य सरकार के पंथित्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्वतल
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त
करना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UTI's Property

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भांति प्रश्नगत भूमि/प्लॉट के प्रति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
अथवा अधिकारी ही प्रभावित होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्योय
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार पर्वतल रूप से
विकासित व्यक्तियों के लिये इस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा नो विं न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

येई लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE.

विद्युत सेवा में बलकारी एवं जल, मल, निकास
पंक्ति शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बंधित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

सहायक नगर (नियोजक)
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी (अलवर)

100MMØ
RWP
FIRE
HYDRANT

OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thindia.com * E-Mail : info@thindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-

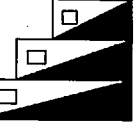
For Trehan

BLOCK-X
ELEVATION -1 & 3

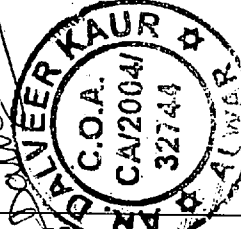
Director

DRN. BY
Himanshu Saini
SCALE:- 1:125
SHEET NO. 4

CONSULTANTS:-



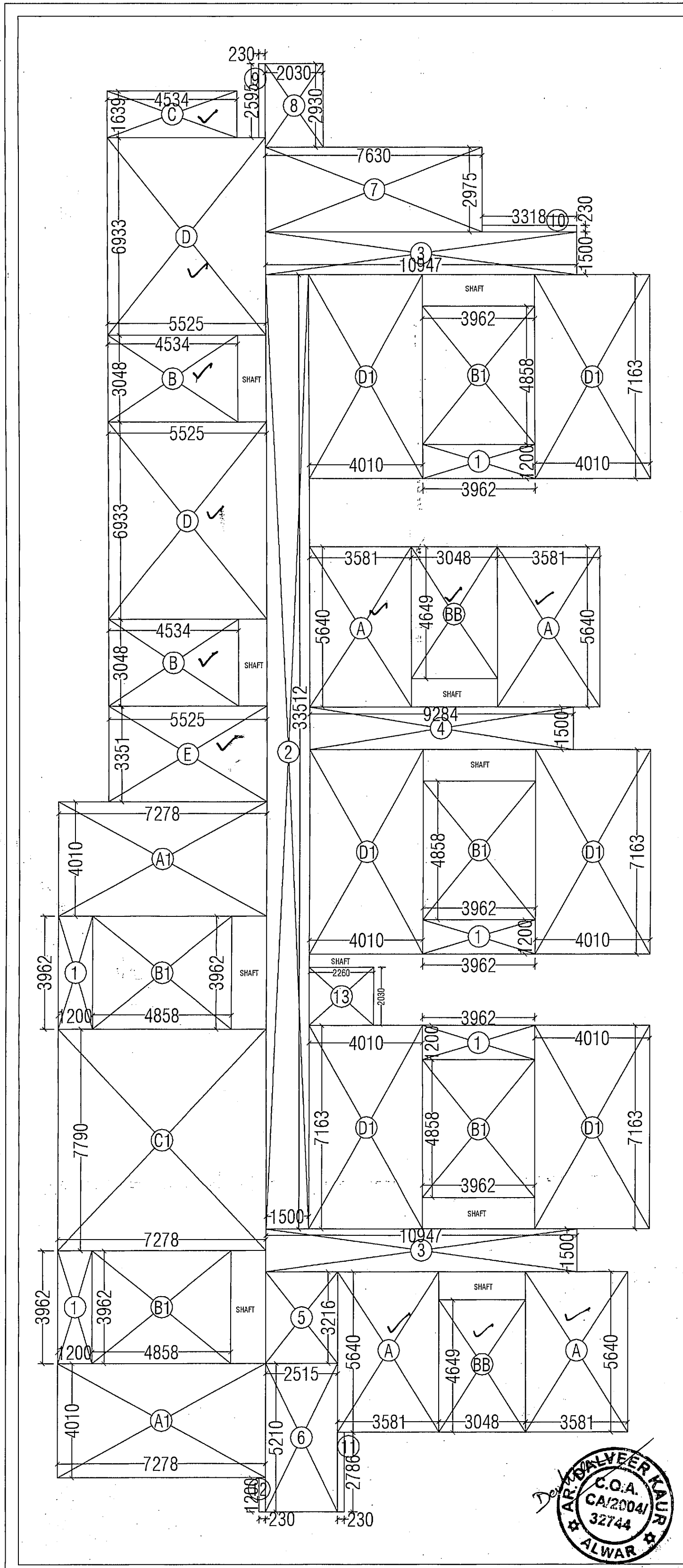
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003 (Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com



अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 9008-3/13 Dt. 6/9/13

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।



AREA STATEMENT

EACH UNIT

A = 3.581 X 5.640 = 20.197 X 4 = 80.79
B = 3.048 X 4.534 = 13.820 X 2 = 27.64
BB = 3.048 X 4.649 = 14.170 X 2 = 28.34
C = 4.534 X 1.639 = 7.431 X 1 = 7.43
D = 5.525 X 6.933 = 38.305 X 2 = 76.61
E = 5.525 X 3.351 = 18.514 X 1 = 18.51

TOTAL = 239.32

AREA OF EACH UNIT = 239.322 / 9 = 26.59

A1 = 7.278 X 4.010 = 29.185 X 2 = 58.37
B1 = 4.858 X 3.962 = 19.247 X 5 = 96.24
C1 = 7.278 X 7.79 = 56.696 X 1 = 56.70
D1 = 4.010 X 7.163 = 28.724 X 6 = 172.34
LIG TOTAL = 383.64

AREA OF EACH UNIT = 383.644 / 10 = 38.36

TOTAL NO. OF FLOOR = 8 TOTAL FAR = 622.265 X 8 = 4978.12 SQM

CORRIDOR

FIRST FLOOR AREA

2 = CORRIDOR = 1.5 X 33.51 = 50.268 X 1 = 50.27
3 = CORRIDOR = 1.5 X 10.95 = 16.421 X 2 = 32.84
4 = CORRIDOR = 1.5 X 9.284 = 13.926 X 1 = 13.93
5 = CORRIDOR = 2.515 X 3.216 = 8.088 X 1 = 8.09
6 = STAIR = 2.515 X 5.21 = 13.103 X 1 = 13.10
7 = STAIR = 2.03 X 2.975 = 22.699 X 1 = 22.70
8 = LIFT = 7.63 X 2.93 = 5.948 X 1 = 5.95
9 = LIFT WALL = 2.595 X 0.23 = 0.597 X 1 = 0.60
10 = CORR. WALL = 3.318 X 0.23 = 0.763 X 1 = 0.76
11 = STAIR WALL = 2.786 X 0.23 = 0.641 X 1 = 0.64
12 = STAIR WALL = 1.2 X 0.23 = 0.276 X 1 = 0.28
13 = LIFT = 2.26 X 2.03 = 4.588 X 1 = 4.59

BALCONY

1 = 1.200 X 3.962 = 4.754 X 5 = 23.77 / 10 = 2.38 SMT. OF EACH

LOAD PER RESPECTIVE EWS UNIT =

153.74 / 622.59 = 0.2469 X 26.59 = 6.5663 SQMT.

TOTAL BUILTUP OF EWS UNIT = 26.59 + 6.5663 = 33.16 SQMT.

LOAD PER RESPECTIVE LIG UNIT =

153.74 / 622.26 = 0.2471 X 38.36 = 9.4784 SQMT.

38.36 + 9.4784 = 47.84 SQMT. + 2.38 (BALCONY AREA)

SUPER BUILTUP OF EACH LIG UNIT = 50.22 SQMT.

BUILT UP AREA OF EACH EWS UNIT = 26.59 SQMT. OR 286.108 SQFT.

BUILTUP AREA OF EACH LIG UNIT = 38.36 + 2.38 = 40.74 SQMT. OR = 438.36 SQFT.

TOTAL BUILTUP AREA OF E.W.S. = 1914.48 SQMT.

TOTAL BUILTUP AREA OF L.I.G. = 3259.20 SQMT.

TOTAL BUILTUP AREA = 5173.68 SQMT.

OWNER:-

TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.

15/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD - (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail:- info@thdindia.com

PROJECT:-

HILL VIEW EXT. PHASE-V

AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA, DISTT. ALWAR(RAJ.)

DRG. TITLE:-

AREA DETAIL SHEET OF
BLOCK-X

SHEET. NO.

3

SCALE:- 1:125

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल

पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन

विनियम 2000 की धारा 8.15 के

अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक

क्षेत्रफल का प्रस्तावित भवन में विशेष

रखा जावे अन्यथा नो वि

न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2005

के अन्तर्गत राज्य सरकार के परियोजना दिनांक

04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक

का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "चर्चावर्णन" प्रस्तुत

करना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UT's Property

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी

भूमि प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति

स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना

जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वाधिक

अधिकारी की प्रभावित होगी।

Adequate Light and Ventilation

to be Provided as per N.B.C.

जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये

गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)

का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन

विनियम 2000 की धारा 12 के अन्तर्गत

अनुसार कार्यान्वित रूप से

विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित

भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे

अन्यथा नो वि न्यास द्वारा भवन निर्माण के

विरुद्ध निर्मानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पेड लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

THESE PLANS ARE VALID

ONLY UP TO FIVE YEAR

FROM DATE OF ISSUE

सहायक नगर नियोजक

नगर विकास न्यास

भिवाडी (अलवर)

सहायक नगर नियोजक

नगर विकास न्यास

भिवाडी (अलवर)

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan-
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 9008-9/Pt. 6/3/13

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की धारा में राज्य सरकार के परिसर दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर के
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्याप्त
पत्र" अनापति प्रमाण पत्र अधिनियम द्वारा प्राप्त
जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UT's Property

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशस्तगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जहाँ किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व-प्रार्थी का ही होगा।"

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार प्राथमिक रूप से
विद्यमान कार्यवाही के निर्देशों प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

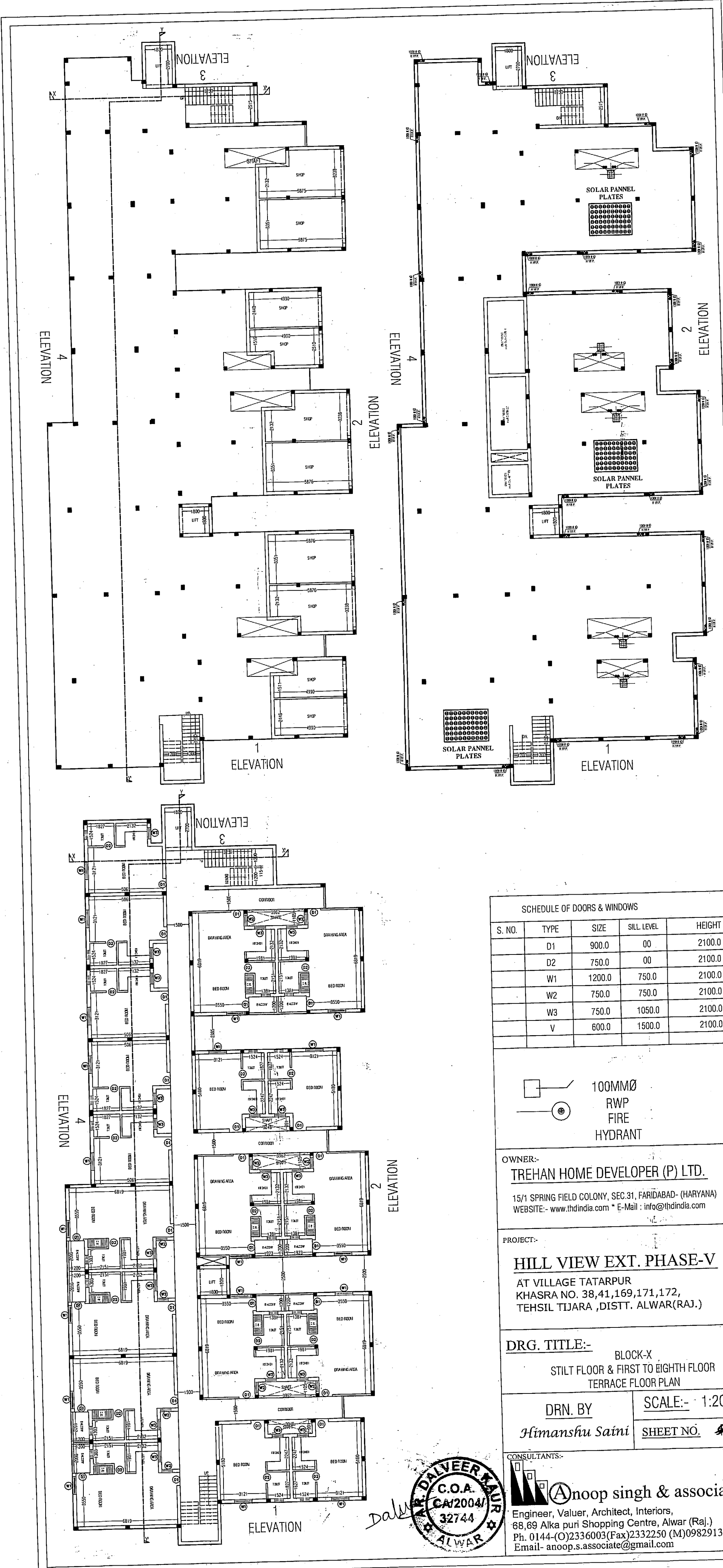
थेड कमरों-सुरिखाली बड़ेओ

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, निकास
आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

22/8/13
सहायक नगर (नियोजक) नगर विकास न्यास
नगर विकास न्यास, भिवाड़ी (अलवर)

इस स्वीकृत भवन मानचित्रों के अनुसार
EWS/LIG फ्लोर का निर्माण अर्जेंटिना
डिजाइन पॉलीसी अनुसार न्यास भिवाड़ी
द्वारा किया जावेगा। विकास कृत इस
न्यास आवंटन/विक्रय निष्पत्ति
न्यास की 24 घंटी नही किया जावेगा



For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 22/8/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 2008-3/13 6/3/13

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।
Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्वया न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेशक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UTI's Property
इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रमाणगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
अधिकारी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्वया न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

**THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE**

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
श्रमि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
अनुसार/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
निहित किया जावेगा।
सहायक नगर (नियोजक) वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, नगर विकास न्यास
भिवाड़ी भिवाड़ी (अलवर)

एन सीएस भवन माफिया के अनुसार
EWS/LIG फ्लैटों का निष्पादन
अपेक्षित एडिफिकेचर पोखिली अनुसार
न्यास भिवाड़ी द्वारा निष्पादित
विभाग द्वारा एन सीएस भवन
प्रक्रिया न्यास की 1-वीं सूची
की निष्पादित

100MMØ
RWP
FIRE
HYDRANT

OWNER:-
TREHAN HOME DEVELOPER (P) LTD.
16/1 SPRING FIELD COLONY, SEC.31, FARIDABAD- (HARYANA)
WEBSITE:- www.thdindia.com * E-Mail : info@thdindia.com

PROJECT:-
HILL VIEW EXT. PHASE-V
AT VILLAGE TATARPUR
KHASRA NO. 38,41,169,171,172,
TEHSIL TIJARA ,DISTT. ALWAR(RAJ.)

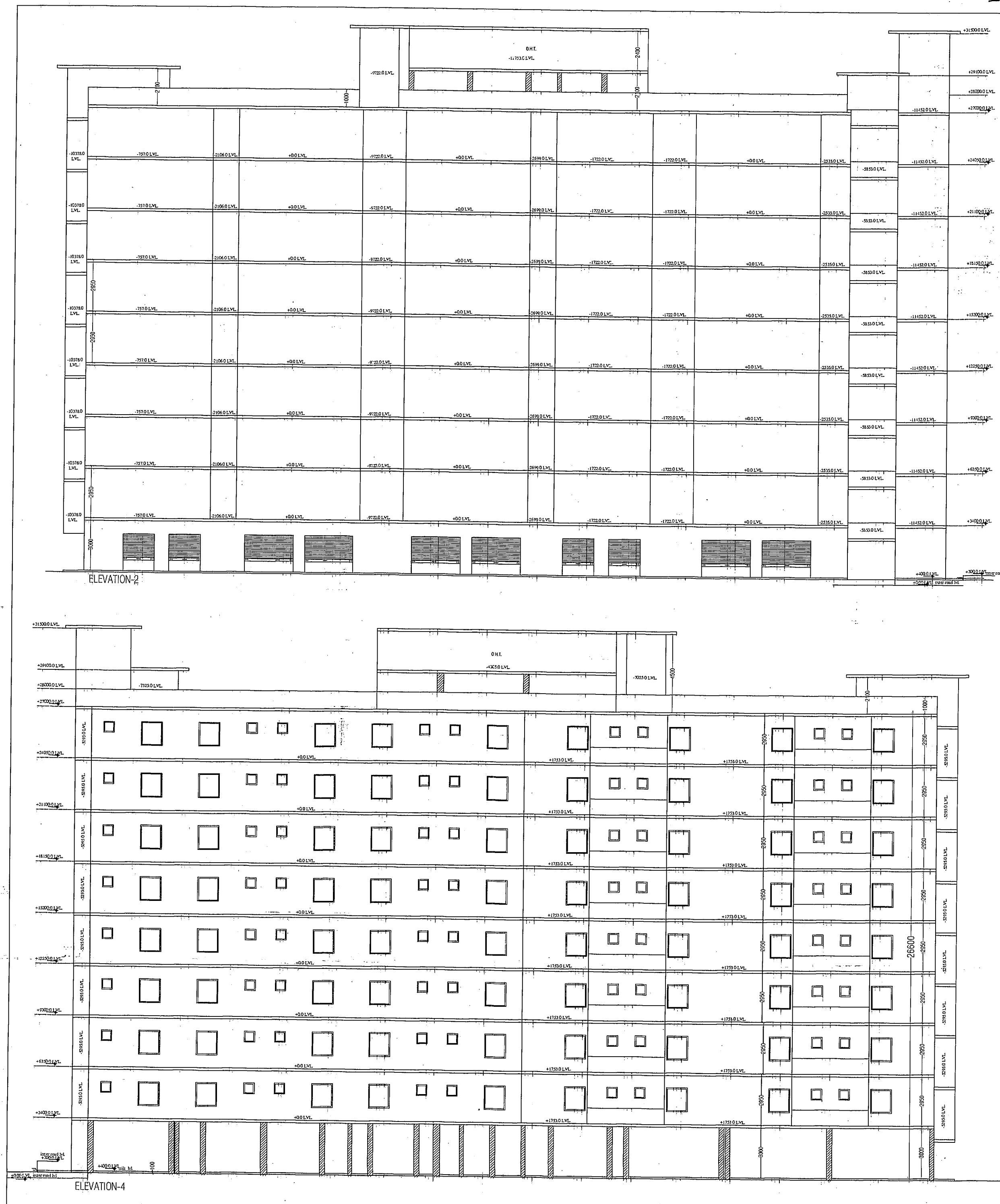
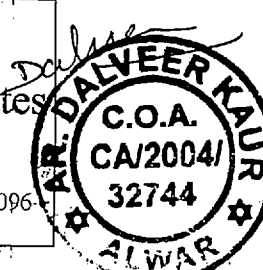
DRG. TITLE:-
BLOCK-X
ELEVATION -2 & 4

DRN. BY
Himanshu Saini
SCALE:- 1:175
SHEET NO. 13

CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(0)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director



कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 9008-9009/13

दिनांक 06/09/13

भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 त्रेहान होम डवलपर्स प्रा0 लि0

जे/5/52 एच, राजोरी गार्डन

नई दिल्ली

विषय:- मै0 त्रेहान होम डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी, श्री सोहन लाल सैनी निवासी ग्राम ततारपुर तह0 तिजारा के ख0न0 38, 41, 169, 171, 172 में स्थित भूमि के आवासीय परियोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 08.07.2013 के अनुसार ग्राम ततारपुर तह0 तिजारा के ख0न0 38, 41, 169, 171, 172 कुल किता 05 रकबा 4937.53 वर्ग मी0 में से स्वीकृत साईट प्लान के अनुसार प्लॉट नं0 ए का क्षेत्रफल 2270.85 वर्ग मी0 है पर भवन निर्माण स्वीकृति समिति 34वी एवं 35वी बैठक दिनांक 24.07.2013 एवं 22.08.2013 के एजेण्डा नं0 03 व 07 पर लिये गये निर्णय अनुसार अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत EWS/LIG बलॉक हेतु भवन के मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकतम 1.5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. आवेदक द्वारा संलग्न भवन मानचित्र में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु 152 ईकाईया (72 EWS व 80 LIG) प्रस्तावित की गई है। इन इकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। न्यास की स्वीकृति प्राप्त किये बिना इन फ्लेट्स का विक्रय/आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
03. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार इस ब्लॉक में प्रस्तावित EWS/LIG का निर्माण कार्य स्वीकृत भवन मानचित्रों को जारी करने की दिनांक से 1.5 वर्ष में पूर्ण किया जाना होगा एवं शेष भाग बी, सी, व डी के भवन मानचित्रों को 1 माह में अनुमोदन कराकर निर्माण कार्य शुरू करना होगा।
04. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
05. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
06. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
07. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

08. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
09. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
10. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
11. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
12. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
13. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
14. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2011 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
15. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2011 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनों के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार सैट बैंक एवं स्टिल्ट क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
16. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
17. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
18. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
19. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
20. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
21. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
22. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
23. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
24. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
25. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्न:- भवन मानचित्र (7)

क्रमांक: आयोजना /

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 10093-44/13

दिनांक 24/10/13

भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 त्रेहान होम डवलपर्स प्रा0 लि0

जे/5/52 एच, राजोरी गार्डन

नई दिल्ली

विषय:- मै0 त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी द्वारा ग्राम ततारपुर तह0 तिजारा के ख0न0 38, 41, 169, 171, 172 में स्थित भूमि के आवासीय परियोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 05.09.2013 के अनुसार ग्राम ततारपुर तह0 तिजारा के ख0न0 38, 41, 169, 171, 172 कुल किता 05 रकबा 4937.53 वर्ग मी0 में से स्वीकृत साईट प्लान के अनुसार प्लॉट नं0 बी का क्षेत्रफल 1327.66 वर्ग मी0 है भूमि के भवन निर्माण स्वीकृति समिति की 36वी बैठक दिनांक 12.09.2013 के एजेण्डा नं0 08 पर लिये गये निर्णयानुसार उक्त के भवन मानचित्रों को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
10. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरज, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2011 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।

13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2011 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावेगा।
 14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
 15. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
 16. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
 17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
 18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
 19. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
 20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
 21. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
 22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
 23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 24. आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 88 ईकाईया प्रस्तावित की गई है। इन ईकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
 25. पूर्व में त्रेहान होम डवलपर्स प्रा० लि० की ग्राम थंडा व ततारपुर एवं अपना घर बिल्डवैल प्रा० लि० की ग्राम ततारपुर स्थित ग्रुप हाउसिंग परियोजना हेतु EWS/LIG क्षेत्रफल 6046.44 वर्ग मी० दिया जाना है। आवेदक द्वारा पूर्व में स्वीकृत भाग ए परियोजना में 72 EWS तथा 80 LIG ईकाईया कुल 5167.92 वर्ग मी० निर्मित क्षेत्र EWS/LIG हेतु प्रस्तावित किया गया था एवं शेष 878.52 वर्ग मी० निर्मित क्षेत्र EWS/LIG हेतु लिया जाना था। आवेदक द्वारा भाग बी में 88 EWS हेतु 2336.71 वर्ग मी० क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। एक ईकाई का क्षेत्रफल 26.55 वर्ग मी० है। इस प्रकार 878.52 वर्ग मी० निर्मित क्षेत्र हेतु 34 EWS के फ्लैट्स अर्थात कुल 106 EWS व 80 LIG ईकाईयों (भाग ए व बी में) आवेदक की ग्राम थंडा व ततारपुर में स्थित पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के एवज में Reserve रखी जाती है एवं शेष 54 EWS ईकाईयो (1458.19 वर्ग मी०) में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं के तहत आरक्षित रखी जावेगी एवं इन ईकाईयो का बेचान आवेदक द्वारा नही किया जावेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के मॉडल नं० 01 एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश/परिपत्रों के अनुसार समस्त ईकाईयो का न्यास द्वारा निष्पादन किया जावेगा।
- ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

— 84 —
वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्न:- भवन मानचित्र (1 से 5)

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 10091-92/13

दिनांक

भवन निर्माण अनुमति पत्र

24/10/13

मै0 त्रेहान होम डवलपर्स प्रा0 लि0

जे/5/52 एच, राजोरी गार्डन

नई दिल्ली

विषय:- मै0 त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी द्वारा ग्राम ततारपुर तह0 तिजारा के ख0न0 38, 41, 169, 171, 172 में स्थित भूमि के आवासीय परियोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 05.09.2013 के अनुसार ग्राम ततारपुर तह0 तिजारा के ख0न0 38, 41, 169, 171, 172 कुल किता 05 रकबा 4937.53 वर्ग मी0 में से स्वीकृत साईट प्लान के अनुसार प्लॉट नं0 सी का क्षेत्रफल 1251.77 वर्ग मी0 है भूमि के भवन निर्माण स्वीकृति समिति की 36वी बैठक दिनांक 12.09.2013 के एजेण्डा नं0 09 पर लिये गये निर्णयानुसार उक्त के भवन मानचित्रों को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी प्राप्त पर प्राप्त मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
10. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़कों, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस पर संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2011 के प्रावधान अनुसार इसको पालना सुनिश्चित कि जावे।

13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2011 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
15. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
16. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
19. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
21. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी हेतु कुल 48 ईकाईया (EWS 08 & LIG 40) प्रस्तावित की गई है। इन ईकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
25. इस भाग सी में प्रस्तावित 1733.97 वर्ग मी० निर्मित क्षेत्र पर 8 EWS एवं 40 LIG की ईकाईयों प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार यह ईकाईयों उनके द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं के लिये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आरक्षित रखी जावेगी एवं इन ईकाईयो का बेचान आवेदक द्वारा नहीं किया जावेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश/परिपत्रों के अनुसार समस्त ईकाईयो का न्यास द्वारा निष्पादन किया जावेगा।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

— 81 —
वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

संलग्न:- भवन मानचित्र (1 5 5 5)

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

23/11/20
वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी